

भारतीय न्यास अधिनियम, 1882

(1882 का अधिनियम संख्यांक 2)¹

[13 जनवरी, 1882]

प्राइवेट न्यासों और न्यासियों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम

उद्देशिका—यह समीचीन है कि प्राइवेट न्यासों और न्यासियों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित किया जाए, अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम । प्रारम्भ—यह अधिनियम भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 कहा जा सकेगा; और यह 1882 के मार्च के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा ।

स्थानीय विस्तार—²[इसका विस्तार ^{3****} अंडमान और निकोबार द्वीपों ^{4****} ³[के सिवाय] ⁵[सम्पूर्ण भारत पर] है; किन्तु केन्द्रीय सरकार ⁶[अंडमान और निकोबार द्वीपों] पर या उनके किसी भी भाग पर इसका विस्तारण शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर कर सकेगी ।]

व्यावृत्तियां—किन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात मुस्लिम विधि के उन नियमों पर जो वक्फ के बारे में हैं, या किसी अविभक्त कुटुम्ब के सदस्यों के ऐसे पारस्परिक संबंधों पर, जो किसी रूढ़िजन्य या स्वीय विधि द्वारा अवधारित होते हैं, प्रभाव नहीं डालती, और न लोक या प्राइवेट धार्मिक या खैराती विन्यासों को या युद्ध में पकड़े गए प्राइजों का वितरण प्रगृहीताओं में करने के लिए न्यासों को लागू होती है; और इस अधिनियम के द्वितीय अध्याय की कोई भी बात उक्त दिन से पूर्व सृष्ट न्यासों को लागू नहीं होती है ।

2. अधिनियमितियों का निरसन—इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित कानून और अधिनियम उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का तत्समय विस्तार हो, उक्त अनुसूची में वर्णित विस्तार तक निरस्त हो जाएंगे ।

3. निर्वचन खंड । “न्यास”—“न्यास” सम्पत्ति के स्वामित्व से उपाबद्ध और दूसरे के या दूसरे और स्वामी के फायदे के लिए स्वामी पर रखे गए और स्वामी द्वारा प्रतिगृहीत या उसके द्वारा घोषित और प्रतिगृहीत विश्वास से उद्भूत बाध्यता है;

“न्यासकर्ता”; “न्यासी”; “हिताधिकारी”; “न्यास-सम्पत्ति”; “फायदाप्रद हित”; “न्यास की लिखत”—वह व्यक्ति, जो विश्वास रखता है या उसे घोषित करता है “न्यासकर्ता” कहलाता है; वह व्यक्ति, जो विश्वास प्रतिगृहीत करता है “न्यासी” कहलाता है; वह व्यक्ति जिसके फायदे के लिए विश्वास प्रतिगृहीत किया जाता है “हिताधिकारी” कहलाता है; न्यास की विषय-वस्तु, “न्यास-सम्पत्ति” या “न्यास-धन” कहलाती है; हिताधिकारी का “फायदाप्रद हित” या “हित” उसका न्यास-सम्पत्ति के स्वामी के रूप में न्यासी के विरुद्ध अधिकार है; और वह लिखत यदि कोई हो, जिसके द्वारा न्यास घोषित किया जाता है, “न्यास की लिखत” कहलाती है;

“न्यास-भंग”—किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा न्यासी पर उसकी उस हैसियत में अधिरोपित किसी कर्तव्य का भंग “न्यास-भंग” कहलाता है;

“रजिस्ट्रीकृत”—तथा इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, “रजिस्ट्रीकृत” से दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है ।

¹ भारतीय विधि आयोग की प्राइवेट न्यास विधेयक पर रिपोर्ट के लिए जिस पर उनको अन्य बातों के साथ विस्तार करने के लिए अनुदेश दिया गया था, भारत का राजपत्र, 1880 अनुपूरक पृष्ठ 104 देखिए; और प्रवर समिति की रिपोर्ट के लिए भारत का राजपत्र, 1880 भाग V, अनुपूरक, 1881, पृष्ठ 766 देखिए; प्रवर समिति की और रिपोर्ट के लिए, देखिए भारत का राजपत्र, 1880, अनुपूरक, 1882, पृष्ठ 67; परिपद में कार्यवाही के लिए देखिए भारत का राजपत्र, 1880, अनुपूरक, 1881, पृष्ठ 687, और देखिए भारत का राजपत्र, 1880, अनुपूरक, 1882, पृष्ठ 68 ।

इस अधिनियम का 1941 के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा बरार पर, 1963 के विनियम 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा दादरा और नागर हवेली पर, 1963 के विनियम 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा पांडिचेरी पर; 1963 के विनियम 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर तथा अधिसूचना सं० का० आ० 642अ, तारीख 24-8-1984 द्वारा (1-9-1984 से) सिक्किम पर विस्तार किया गया ।

² भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा प्रथम वाक्य के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) “जम्मू-कश्मीर राज्य” शब्दों का लोप किया गया ।

⁴ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “और पंथ पिपलोदा” शब्दों का लोप किया गया ।

⁵ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “भारत के सभी प्रान्तों पर” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁶ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “उक्त प्रान्तों में से कोई या दोनों” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

“सूचना”—किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को “सूचना” है यह तब कहा जाता है जब कि या तो वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है, अथवा यदि जांच करने से जानबूझकर प्रविरत न रहता या घोर उपेक्षा न करता तो वह उस तथ्य को जान लेता, या जब कि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 229 में वर्णित परिस्थितियों में उस तथ्य की जानकारी उसके अभिकर्ता को दी गई हो या उसके द्वारा अभिप्राप्त कर ली गई हो;

1872 के अधिनियम 9 में परिभाषित पद—तथा जो पद इसमें प्रयुक्त किए गए हैं और भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में परिभाषित हैं उन सब के क्रमशः वे ही अर्थ समझे जाएंगे जो उन्हें उस अधिनियम द्वारा दिए गए हैं।

अध्याय 2

न्यासों के सृजन के विषय में

4. विधिपूर्ण प्रयोजन—न्यास किसी भी विधिपूर्ण प्रयोजन के लिए सृष्ट किया जा सकेगा। न्यास का प्रयोजन तब के सिवाय विधिपूर्ण होता है जब कि वह (क) विधि द्वारा निषिद्ध हो, या (ख) ऐसी प्रकृति का हो कि यदि अनुज्ञात हुआ तो वह किसी विधि के उपबन्धों को विफल कर देगा, या (ग) कपटपूर्ण हो, या (घ) किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या सम्पत्ति की क्षति उसमें अन्तर्वलित या विवक्षित हो, या (ङ) न्यायालय उसे अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध समझे।

हर न्यास, जिसका प्रयोजन विधिविरुद्ध हो, शून्य होता है। और जहां कि न्यास दो प्रयोजनों के लिए सृष्ट किया जाए, जिनमें से एक विधिपूर्ण और दूसरा विधिविरुद्ध हो और उन दोनों प्रयोजनों को पृथक् न किया जा सके, वहां सम्पूर्ण न्यास शून्य होता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा में “विधि” पद के अन्तर्गत उस दशा में, जिसमें कि न्यास-सम्पत्ति स्थावर हो और किसी विदेश में स्थित हो, ऐसे विदेश की विधि आती है।

दृष्टांत

(क) क सम्पत्ति को इस हेतु से ख को न्यास पर हस्तांतरित करता है कि उसके लाभ उन अपविद्धाओं के पालन-पोषण में उपयोजित किए जाएं जिन्हें वेश्या बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना है। यह न्यास शून्य है।

(ख) क सम्पत्ति की न्यास पर वसीयत ख को इसलिए करता है कि उस सम्पत्ति को तस्करी का कारबार चलाने में लगाया जाए, और उसके लाभों में से क की सन्तान का, पालन किया जाए। वह न्यास शून्य है।

(ग) क दिवाले की परिस्थितियों में होते हुए सम्पत्ति ख को, क के जीवन-पर्यन्त क के लिए न्यास पर और क की मृत्यु के उपरान्त ख के लिए, अन्तरित करता है। क दिवालिया घोषित किया जाता है। क के लिए न्यास उसके लेनदारों के विरुद्ध अविधिमान्य है।

5. स्थावर सम्पत्ति का न्यास—स्थावर सम्पत्ति से संबंधित कोई भी न्यास विधिमान्य नहीं है, यदि वह न्यासकर्ता या न्यासी द्वारा हस्ताक्षरित, लेखबद्ध और रजिस्ट्रीकृत निर्वसीयती लिखत द्वारा अथवा न्यासकर्ता की या न्यासी की विल द्वारा घोषित नहीं है।

जंगम सम्पत्ति का न्यास—जंगम संपत्ति से संबंधित कोई भी न्यास विधिमान्य नहीं है, यदि वह उपर्युक्त रूप से घोषित नहीं है अथवा यदि उस सम्पत्ति का स्वामित्व न्यासी को अन्तरित नहीं किया गया है।

जहां कि इन नियमों के प्रवर्तन से कोई कपट प्रभावशील होता हो वहां ये लागू नहीं होते हैं।

6. न्यास का सृजन—धारा 5 के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए यह है कि न्यास का सृजन तब होता है जब न्यासकर्ता किन्हीं शब्दों या कार्यों से (क) न्यास का तद्द्वारा सृजन करने का अपना आशय, (ख) न्यास का प्रयोजन, (ग) हिताधिकारी, और (घ) न्यास-संपत्ति युक्तियुक्त निश्चितता के साथ उपदर्शित कर देता है और (यदि न्यास विल द्वारा घोषित न हो या न्यासकर्ता को स्वयं न्यासी न होना हो तो) न्यासी को न्यास-सम्पत्ति अन्तरित कर देता है।

दृष्टांत

(क) क “यह पूर्णतम विश्वास रखते हुए कि ख उस सम्पत्ति का व्ययन ग के फायदे के लिए करेगा” एक सम्पत्ति की वसीयत ख को करता है। जहां तक क और ग का संबंध है, इससे न्यास का सृजन हो जाता है।

(ख) क “यह आशा करते हुए कि ख उस संपत्ति को कुटुम्ब में बनी रखेगा”, किसी सम्पत्ति की वसीयत ख को करता है। इससे न्यास का सृजन नहीं होता, क्योंकि हिताधिकारी युक्तियुक्त निश्चितता के साथ उपदर्शित नहीं किया गया है।

(ग) क, यह प्रार्थना ख से करते हुए कि ख उस सम्पत्ति को ग के कुटुम्ब के ऐसे सदस्यों के बीच वितरित कर दे जिन्हें ख सर्वाधिक पात्र समझे, एक सम्पत्ति की वसीयत उसे करता है। इससे न्यास का सृजन नहीं होता क्योंकि हिताधिकारी युक्तियुक्त निश्चितता के साथ उपदर्शित नहीं किए गए हैं।

(घ) क यह वांछा ख से करते हुए कि वह उस संपत्ति के प्रपुंज को ग की सन्तान के बीच बांट दे, ख को एक सम्पत्ति की वसीयत करता है। इससे न्यास का सृजन नहीं होता क्योंकि न्यास-सम्पत्ति पर्याप्त निश्चितता के साथ उपदर्शित नहीं की गई है।

(ङ) क दुकान और व्यापार-स्टाक की वसीयत ख को इस शर्त पर करता है कि वह क के ऋण चुका दे और ग को एक वसीयत-सम्पदा दे दे। यह एक शर्त है, न कि क के लेनदानों और ग के लिए न्यास।

7. न्यासों का सृजन कौन कर सकेगा—न्यास का सृजन—

(क) संविदा¹ करने के लिए सक्षम हर व्यक्ति द्वारा, तथा

(ख) आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की अनुज्ञा से अप्राप्तवय द्वारा या उसकी ओर से, किया जा सकेगा,

किन्तु हर एक मामले में यह उस तत्समय प्रवृत्त विधि के अधधीन रहते हुए हैं जो उन परिस्थितियों और विस्तार के बारे में हो, जिनमें और जिस तक न्यासकर्ता न्यास-सम्पत्ति का व्यन कर सकता है।

8. न्यास का विषय—न्यास की विषय-वस्तु हिताधिकारी को अन्तरणीय संपत्ति होनी चाहिए।

वह केवल किसी अस्तित्वशील न्यास के अधधीन फायदाप्रद हित नहीं होनी चाहिए।

9. हिताधिकारी कौन हो सकेगा—संपत्ति धारण करने के लिए समर्थ हर व्यक्ति हिताधिकारी हो सकेगा।

हिताधिकारी द्वारा दावा-त्याग—प्रस्थापित हिताधिकारी न्यास के अधधीन अपना हित न्यासी को सम्बोधित दावा-त्याग द्वारा, या न्यास की सूचना होते हुए उससे असंगत दावा खड़ा करने द्वारा त्याग सकेगा।

10. कौन न्यासी हो सकेगा—संपत्ति धारण करने के लिए समर्थ हर व्यक्ति न्यासी हो सकेगा, किन्तु जहां कि न्यास स्वविवेक का प्रयोग अन्तर्वलित हो वहां, तब के सिवाय जब कि वह संविदा करने के लिए सक्षम हो, वह उसका निष्पादन नहीं कर सकेगा।

न्यास प्रतिगृहीत करने के लिए किसी का भी आबद्ध न होना—कोई भी न्यास को प्रतिगृहीत करने के लिए आबद्ध नहीं है।

न्यास का प्रतिग्रहण—न्यास न्यासी के किन्हीं ऐसे शब्दों या कार्यों से प्रतिगृहीत हो जाता है जो ऐसा प्रतिग्रहण युक्तियुक्त निश्चितता के साथ उपदर्शित करते हैं।

न्यास से इन्कार—आशयित न्यासी, न्यास को प्रतिगृहीत करने के बजाय, युक्तियुक्त कालावधि के भीतर उससे इन्कार कर सकेगा, और ऐसा इन्कार न्यास-सम्पत्ति को न्यासी में निहित होने से निवारित कर देगा।

दो या अधिक सहन्यासियों में से एक के द्वारा किया गया इन्कार उस न्यास-सम्पत्ति को अन्य न्यासी या न्यासियों में निहित कर देता है और उसे या उन्हें न्यास के सृजन की तारीख से एकमात्र न्यासी बना देता है।

दृष्टांत

(क) क अपने निष्पादकों ख और ग को घ के न्यासियों के रूप में एक सम्पत्ति की वसीयत करता है। क की विल को ख और ग साबित कर देते हैं। यह बात स्वयंमेव न्यास का प्रतिग्रहण है और ख तथा ग सम्पत्ति का धारण घ के लिए न्यास के रूप में करते हैं।

(ख) क एक सम्पत्ति का न्यास के रूप में अन्तरण ख को इसलिए करता है कि ख उसे बेच दे और आगमों में से क के ऋणों को चुका दें। ख न्यास को प्रतिगृहीत करता है और सम्पत्ति बेच देता है। जहां तक कि ख का संबंध है क के लेनदारों के लिए आगमों का न्यास सृष्ट हो गया है।

(ग) क किन्हीं न्यासों पर एक लाख रुपए की वसीयत ख को करता है और उसे अपना निष्पादक नियुक्त करता है। ख वे एक लाख रुपए साधारण आस्तियों में से पृथक् कर लेता है और उन्हें विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए विनियोजित कर देता है। यह न्यास का प्रतिग्रहण है।

अध्याय 3

न्यासियों के कर्तव्यों और दायित्वों के विषय में

11. न्यासी का न्यास को निष्पादित करना—न्यासी न्यास के प्रयोजन की पूर्ति और न्यास के सृजन के समय न्यासकर्ता द्वारा दिए गए निदेशों का पालन वहां तक के सिवाय करने के लिए आबद्ध होता है, जहां तक कि वे सब हिताधिकारियों की, जो संविदा करने के लिए सक्षम हों, सम्मति से उपान्तरित कर दिए गए हों।

जहां कि हिताधिकारी संविदा करने के लिए अक्षम हो वहां इस धारा के प्रयोजनों के लिए उसकी सम्मति आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा दी जा सकेगी।

इस धारा में की किसी भी बात की बाबत यह न समझा जाएगा कि वह किसी निदेश का पालन करने की अपेक्षा उस दशा में भी किसी न्यासी से करती है जिसमें कि ऐसा करना असाध्य, अवैध या हिताधिकारियों को प्रकट रूप से क्षतिकारक हो।

¹ भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 11 देखिए।

स्पष्टीकरण—जब तक की प्रतिकूल आशय अभिव्यक्त न हो, ऋण चुकाने के लिए न्यास का प्रयोजन यह समझा जाएगा कि (क) न्यासकर्ता के केवल उन ऋणों को चुकाना है जो न्यास की लिखत की तारीख पर, या जहां कि ऐसी लिखत विल है वहां उसकी मृत्यु की तारीख पर, वर्तमान वसूलीय हैं, और (ख) ब्याज-रहित ऋणों की दशा में उनको बिना ब्याज चुकाना है।



दृष्टांत

(क) **क**, एक न्यासी, कोई भूमि लोक नीलाम द्वारा ही बेचने के लिए प्राधिकृत है। वह उस भूमि को प्राइवेट संविदा द्वारा नहीं बेच सकता।

(ख) **भ, म और य** के लिए किसी भूमि का न्यासी **क** उस भूमि को विनिर्दिष्ट राशि पर **ख** को बेचने के लिए प्राधिकृत है। **भ, म और य** संविदा करने के लिए सक्षम होते हुए, सम्मत हो जाते हैं कि **क** उस भूमि को कम राशि पर **ग** को बेचे। **क** भूमि को तदनुसार बेच सकेगा।

(ग) **क** को, जो **ख** और उसकी सन्तान के लिए न्यासी है, न्यासकर्ता द्वारा यह निदेश है कि वह न्यास-सम्पत्ति **ख** के पति **ग** के बन्धुपत्र की प्रतिभूति पर **ग** को, **ख** की प्रार्थना पर उधार दे। **ग** दिवालिया हो जाता है और **ख** उधार देने की प्रार्थना **क** से करती है। **क** उधार देने से इन्कार कर सकेगा।

12. न्यासी का न्यास-सम्पत्ति की स्थिति से स्वयं को परिचित रखना—न्यासी इसके लिए आबद्ध है कि वह न्यास-सम्पत्ति की प्रकृति और परिस्थितियों से स्वयं को यथासंभव शीघ्र परिचित कर ले, जहां आवश्यक हो वहां स्वयं को न्यास-सम्पत्ति का अन्तरण अभिप्राप्त कर ले, और (न्यास की लिखत के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए) अपर्याप्त या जोखिम वाली प्रतिभूतियों पर विनिहित न्यास-धन को वापस ले ले।

दृष्टांत

(क) न्यास-सम्पत्ति वैयक्तिक प्रतिभूति पर परादेय ऋण है। न्यास की लिखत ऋण को ऐसे परादेय रहने देने के लिए कोई वैवेकिक शक्ति न्यासी को नहीं देती है। न्यासी का कर्तव्य यह है कि वह इस ऋण को अनावश्यक विलम्ब के बिना वसूल कर ले।

(ख) न्यास-सम्पत्ति दो सहन्यासियों में से एक के हाथ में रहने वाला धन है। न्यास की लिखत द्वारा कोई वैवेकिक शक्ति नहीं दी गई है। दूसरे सहन्यासी को चाहिए कि पूर्वकथित न्यासी को उतनी से दीर्घतर कालावधि के लिए वह धन प्रतिधारित न करने दे जितनी मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हो।

13. न्यासी का न्यास-सम्पत्ति के हक का संरक्षण करना—न्यासी इसके लिए आबद्ध है कि वह ऐसे सब वादों को चलाता रहे और उनमें प्रतिरक्षा करे और (न्यास की लिखत के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए) ऐसे अन्य उपाय करे जो न्यास-सम्पत्ति की प्रकृति और रकम या मूल्य को ध्यान में रखते हुए न्यास-सम्पत्ति के परिरक्षण और उस पर हक के प्राख्यान या संरक्षण के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हों।

दृष्टांत

न्यास-सम्पत्ति ऐसी स्थावर सम्पत्ति है जो न्यासकर्ता को एक अरजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा दी गई है। इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1877 (1877 का 3)¹ के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए न्यासी का कर्तव्य यह है कि वह लिखत का रजिस्ट्रीकरण कराए।

14. न्यासी का हिताधिकारी के प्रतिकूल हक खड़ा न करना—न्यासी न्यास-सम्पत्ति पर अपने या किसी अन्य के लिए ऐसा कोई भी हक, जो हिताधिकारी के हित के प्रतिकूल हो, न तो खड़ा करेगा और न ऐसे किसी भी हक की सहायता करेगा।

15. न्यासी से अपेक्षित सावधानी—न्यासी न्यास-सम्पत्ति से वैसी ही सावधानी से बरतने के लिए आबद्ध है जैसी से मामूली प्रजा वाला व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति से बरतता यदि वह उसकी अपनी सम्पत्ति होती; और तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में इस प्रकार बरतने वाला न्यासी न्यास-सम्पत्ति की हानि, नाश या क्षय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

दृष्टांत

(क) कलकत्ते में रहने वाला **क**, मुम्बई में रहने वाले **ख** के लिए न्यासी है। **क** ऐसे विनिमय-पत्रों द्वारा, जो न्यासी की हैसियत में न्यासी के पक्ष में असंदिग्ध प्रत्यय वाले व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं और मुम्बई में संदेय हैं, न्यास निधियां **ख** को विप्रेषित करता है। विनिमयपत्र अनादृत हो जाते हैं। **क** हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए आबद्ध नहीं है।

(ख) **क**, जो पट्टाधृत सम्पत्ति का न्यासी है, अभिधारी को निदेश देता है कि वह भाटकों का संदाय न्यास के खाते में महाजन **ख** के यहां, जिसका प्रत्यय उस समय अच्छा है, कर दे। भाटक तदनुसार **क** को संदत्त किए जाते हैं, और **क** धन को केवल आवश्यकता पड़ने तक **ख** के पास रहने देता है। **ख** धन के निकाले जाने के पूर्व दिवालिया हो जाता है। **क** हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए आबद्ध नहीं है क्योंकि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण न था कि **ख** दिवाले की परिस्थितियों में है।

¹ अब भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) देखिए।

(ग) क, जो ख के लिए दो ऋणों का न्यासी है, एक की निर्मुक्ति और दूसरे का शमन, सद्भावपूर्वक और युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास करते हुए कि ऐसा करना ख के हित में है, करता है, ख को तद्द्वारा हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए क आबद्ध नहीं है।

(घ) न्यासी क, जिसे न्यास-सम्पत्ति को नीलाम द्वारा बेचने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, उसे बेचता है, किन्तु वह विक्रय के लिए ज्ञापन नहीं निकालता और प्रतियोगिता कराने के लिए युक्तियुक्त तत्परता बरतने में अन्यथा असफल रहता है। हिताधिकारी की तद्द्वारा हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए क आबद्ध है।

(ङ) क, जो ख के लिए न्यासी है, अपने न्यास के निष्पादन में न्यास-सम्पत्ति को बेचता है, किन्तु अपनी ओर से सम्यक् तत्परता के अभाव के कारण क्रय-धन का भाग प्राप्त करने में असफल रहता है। ख को तद्द्वारा हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए क आबद्ध है।

(च) क के पास, जो ख के लिए किसी बीमा पालिसी का न्यासी है, प्रीमियमों का संदाय करने के लिए निधियां हैं। क प्रीमियमों का संदाय करने में उपेक्षा करता है और फलस्वरूप बीमा पालिसी समपहत हो जाती है। ख को हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए क आबद्ध है।

(छ) क कुछ धनों की वसीयत ख और ग को उनके न्यासी रूप में करता है और उन्हें यह प्राधिकार देता है कि वे न्यास-धनों को एक फर्म की, जिसमें क ने स्वयं उन्हें विनिहित किया था, वैयक्तिक प्रतिभूति पर रहने दें। क मर जाता है और फर्म में तब्दीली होती है। ख और ग को नई फर्म की वैयक्तिक प्रतिभूति पर धन न रहने देना चाहिए।

(ज) क, जो ख के लिए न्यासी है, न्यास का निष्पादन अकेले अपने सहन्यासी ग द्वारा किया जाने देता है। ग न्यास-सम्पत्ति का दुरुपयोजन करता है। ख को हुई हानि के लिए क वैयक्तिक रूप से जवाबदार है।

16. विनश्वर सम्पत्ति का संपरिवर्तन—जहां कि न्यास उत्तरोत्तर कई व्यक्तियों के फायदे के लिए सृष्ट किया जाता है, और न्यास सम्पत्ति क्षयशील प्रकृति की या भावी हित या उत्तरभोग-हित के रूप में होती है वहां, तब के सिवाय जब कि न्यास की लिखत से कोई तत्प्रतिकूल आशय अनुमित हो न्यासी उस सम्पत्ति को स्थायी और तुरंत लाभदायी स्वरूप की सम्पत्ति में संपरिवर्तित करने के लिए आबद्ध होता है।

दृष्टांत

(क) क अपनी सारी सम्पत्ति की वसीयत ख को, ग के जीवनपर्यन्त ग के लिए और ग की मृत्यु पर घ के लिए और घ की मृत्यु पर ङ के लिए, न्यास पर करता है। क की सम्पत्ति पट्टाधृत तीन गृह हैं और क की विल में यह दर्शित करने के लिए कोई बात नहीं है कि उसका यह आशय था कि गृहों का गृहों के रूप में उपभोग किया जाए। ख को चाहिए कि वह गृहों को बेच दे और आगमों को धारा 20 के अनुसार विनिहित कर दे।

(ख) क कलकत्ते में स्थित अपने तीन पट्टाधृत गृहों की और उनमें से सब फर्नीचर की वसीयत ख को, ग के जीवनपर्यन्त ग के लिए और ग की मृत्यु पर घ के लिए, और घ की मृत्यु पर ङ के लिए, न्यास पर करता है। यहां वह आशय स्पष्टतः प्रकट है कि गृहों और फर्नीचर का गृहों और फर्नीचर के रूप में उपभोग किया जाए, और ख को चाहिए कि उन्हें न बेचे।

17. न्यासी का निष्पक्ष रहना—जहां कि एक से अधिक हिताधिकारी हों वहां न्यासी इस बात के लिए आबद्ध होता है कि वह निष्पक्ष रहे और न्यास का निष्पादन एक हानि करके दूसरे के फायदे के लिए न करे।

जहां कि न्यासी को वैवेकिक शक्ति प्राप्त हो वहां उस धारा में की किसी भी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह उसके ऐसे विवेक के युक्तियुक्त और सद्भावपूर्ण प्रयोग को नियंत्रित करने का प्राधिकार न्यायालय को देती है।

दृष्टांत

क को, जो ख, ग और घ के लिए न्यासी है, यह शक्ति प्राप्त है कि वह न्यास-सम्पत्ति को विनिहित करने के कई विनिर्दिष्ट ढंगों में से एक को चुन ले। क इनमें से एक ढंग को सद्भावपूर्वक चुन लेता है। यद्यपि इस चुनाव का परिणाम यह हो कि ख, ग और घ के अपने-अपने अधिकारों में फेरफार हो जाए, तथापि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।

18. दुर्व्यय का न्यासी द्वारा निवारण किया जाना—जहां कि न्यास उत्तरोत्तर कई व्यक्तियों के फायदे के लिए सृष्ट किया जाता है और न्यास-सम्पत्ति उनमें से एक के कब्जे में है वहां, यदि उक्त व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है या करने की धमकी देता है जो उक्त सम्पत्ति के लिए नाशकारी या स्थायी रूप से क्षतिकारक है तो न्यासी ऐसे कार्य के निवारणार्थ उपाय करने के लिए आबद्ध होता है।

19. लेखा और जानकारी—न्यासी आबद्ध होता है कि वह (क) न्यास-सम्पत्ति का स्पष्ट और सही लेखा रखे, और (ख) हिताधिकारी की प्रार्थना पर उसको न्यास-सम्पत्ति के परिमाण और स्थिति के बारे में पूर्ण और सही जानकारी सभी युक्तियुक्त समयों पर दे।

1[20. न्यास-धन का विनिधान—जहां न्यास संपत्ति धन हो और न्यास के प्रयोजनों के लिए उसका उपयोजन तुरन्त या नजदीकी तारीख पर न किया जा सके, वहां न्यासी, न्यास की लिखत में अंतर्विष्ट किसी निदेश 2[के अधीन रहते हुए, उस धन का विनिधान करेगा जो न्यास की लिखत द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किन्हीं प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों के वर्ग में अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत है] :

परन्तु जहां कोई व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम हो और न्यास-संपत्ति की आय को अपने जीवनपर्यन्त या किसी वृहत्तर संपदार्थ प्राप्त करने का हकदार हो, वहां 3**** कोई विनिधान उसकी लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “प्रतिभूति” पद का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा (2) के खंड (ज) में है ।]

4[20क. मोचनीय स्टाक को प्रीमियम पर खरीदने की शक्ति—(1) न्यासी धारा 20 में वर्णित या निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में से किसी में भी विनिधान कर सकेगा, यद्यपि वह मोचनीय हो और कीमत मोचन-मूल्य से अधिक हो :

5* * * * *

(2) न्यासी कोई भी ऐसा मोचनीय स्टाक, निधि या प्रतिभूति, जिसे इस धारा के अनुसार खरीदा गया हो, उसको मोचन तक प्रतिधारित कर सकेगा ।

21. सरकार के पास 1871 के अधिनियम 26 के अधीन गिरवी रखी गई भूमि का बन्धक । सरकारी बचत बैंक में निक्षेप—धारा 20 में की कोई भी बात इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व किए गए विनिधानों को लागू नहीं होगी, और न ऐसी किसी बात की बाबत यह समझा जाएगा कि वह लैण्ड इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1871⁶ के अधीन अधिदायों के लिए प्रतिभूति के रूप में पहले से ही गिरवी रखी हुई स्थावर सम्पत्ति के बन्धक पर विनिधान को, या उस दशा में जब कि न्यास-धन तीन हजार रुपए से अधिक न हो उसके किसी सरकारी बचत बैंक में निक्षेप को प्रवारित करती है ।

22. जो न्यासी विनिर्दिष्ट समय के भीतर बेचने के लिए निर्दिष्ट है उसके द्वारा विक्रय—जहां कि कोई न्यासी, जिसे यह निदेश है कि वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर बेच दे, ऐसे समय का विस्तारण करता है वहां, जहां तक उसके अपने और हिताधिकारी के बीच का संबंध है, यह साबित करने का भार, कि पश्चात्कथित व्यक्ति पर ऐसे विस्तारण से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडा, न्यासी पर तब के सिवाय होगा जब कि ऐसा विस्तारण आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया हो ।

दृष्टांत

क यह निदेश ख को देते हुए उसे सम्पत्ति की वसीयत करता है कि ख उसे सुविधानुसार पूर्ण शीघ्रता से और पांच वर्षों के भीतर बेच दे, और आगमों का उपयोजन ग के फायदे के लिए करे । युक्तियुक्त विवेक का प्रयोग करके ख विक्रय को छह वर्ष के लिए मुलतवी करता है । विक्रय तद्द्वारा अविधिमान्य नहीं हो जाता, किन्तु ग यह अभिकथित करते हुए कि उस मुलतवी किए जाने से उसे क्षति पहुंची है, ख के विरुद्ध एक वाद प्रतिकर अभिप्राप्त करने के लिए संस्थित करता है । ऐसे वाद में यह साबित करने का भार कि ग को क्षति नहीं पहुंची है, ख पर है ।

23. न्यास-भंग के लिए दायित्व—जहां कि न्यासी न्यास-भंग करे वहां उस हानि की, जो न्यास-सम्पत्ति की या हिताधिकारी को तद्द्वारा हुई हो, प्रतिपूर्ति करने का दायित्व उस न्यासी पर तब के सिवाय होगा जब कि हिताधिकारी ने न्यासी को उस भंग को करने के लिए कपट द्वारा उत्प्रेरित किया हो अथवा जब कि हिताधिकारी, संविदा करने के लिए सक्षम होते हुए, अपने पर प्रपीडन किए गए या असम्यक् असर डाले गए बिना और मामले के तथ्यों और न्यासी के विरुद्ध अपने अधिकारों की पूरी जानकारी रखते हुए भंग में सहमत हो गया हो, या तत्पश्चात् उससे उपमत हो गया हो ।

न्यास-भंग करने वाले न्यासी पर निम्नलिखित दशाओं में के सिवाय ब्याज का संदाय करने का दायित्व नहीं होता है, अर्थात्—

- (क) जहां कि उसने ब्याज वास्तव में प्राप्त किया है;
- (ख) जहां कि भंग यह है कि हिताधिकारी को न्यास-धन का संदाय करने में अयुक्तियुक्त विलम्ब हुआ;
- (ग) जहां कि न्यासी को ब्याज प्राप्त करना चाहिए था किन्तु उसने ऐसा नहीं किया;
- (घ) जहां कि यह ऋजुतः उपधारित किया जा सकता हो कि उसे ब्याज प्राप्त हुआ है ;

यदि न्यायालय अन्यथा निदेश न दे तो दशा (क) में वास्तव में अपने को प्राप्त ब्याज का लेखा देने का और दशाओं (ख), (ग) और (घ) में छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का लेखा देने का दायित्व उस पर होता है ;

¹ 2016 के अधिनियम सं० 34 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

² 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 131 द्वारा प्रतिस्थापित ।

³ 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 131 द्वारा लोप किया गया ।

⁴ 1916 के अधिनियम सं० 1 सं० 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁵ 2016 के अधिनियम सं० 34 की धारा 3 द्वारा लोप किया गया ।

⁶ अब भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 (1883 का 19) देखिए ।

(ङ) जहां कि भंग यह है कि वह न्यास-धन को विनिहित करने और उस पर ब्याज या लाभांश का संचय करने में असफल रहा वहां उसी दर से (अर्धवार्षिक विरामों के साथ) चक्रवृद्धि ब्याज का लेखा देने का दायित्व उस पर होता है;

(च) जहां कि भंग यह है कि न्यास-सम्पत्ति को या उसके आगमों को व्यापार या वाणिज्य में नियोजित किया वहां हिताधिकारी के विकल्प पर या तो उसी दर से (अर्धवार्षिक विरामों के साथ) चक्रवृद्धि ब्याज का, या ऐसे नियोजन द्वारा हुए शुद्ध लाभों का लेखा देने का दायित्व उस पर होता है।

दृष्टांत

(क) एक न्यासी न्यास-सम्पत्ति को अनुचित रूप से परादेय रहने देता है और परिणामस्वरूप वह सम्पत्ति मारी जाती है; मारी गई सम्पत्ति की प्रतिपूर्ति करने का दायित्व उस पर है, किन्तु उस पर ब्याज का संदाय करने का दायित्व उस पर नहीं है।

(ख) क एक गृह की ख को वसीयत इस न्यास पर करता है कि वह उसे बेच दे और आगमों का संदाय ग को कर दे। ख अति दीर्घकाल तक गृह को बेचने की उपेक्षा करता है, जिससे गृह की दशा बिगड़ जाती है और उसकी बाजार कीमत गिर जाती है। ख इस हानि के लिए ग के प्रति जवाबदार है।

(ग) एक न्यासी न्यास-संपत्ति का धारा 20 के अनुसार विनिधान करने में या हिताधिकारी को उसका संदाय करने में अयुक्तियुक्त विलम्ब का दोषी है। विलम्ब की कालावधि के लिए उस पर ब्याज का संदाय करने का दायित्व न्यासी का है।

(घ) एक न्यासी का कर्तव्य है कि वह न्यास-धन को धारा 20 के खंड (क), (ख), (ग) या (घ) में वर्णित किन्हीं प्रतिभूतियों में विनिहित करे। ऐसा करने के बजाय वह धन को अपन पास प्रतिधारित करता है। उसका यह दायित्व है कि हिताधिकारी के विकल्प के अनुसार या तो मूलधन और ब्याज का, या ऐसी प्रतिभूतियों की रकम का, जिन्हें वह न्यास-धन से उस समय खरीद सकता था जब विनिधान किया जाना चाहिए था और अन्तःकालीन लाभांशों का और उन पर ब्याज का भार उस पर डाला जाए।

(ङ) न्यास की लिखत न्यासी को यह निदेश देती है कि वह न्यास-धन को या तो ऐसी प्रतिभूतियों में से किन्हीं में अथवा स्थावर सम्पत्ति के बन्धक पर विनिहित करे। न्यासी दोनों में से कुछ भी नहीं करता है। वह मूलधन और ब्याज के लिए दायी है।

(च) न्यास की लिखत न्यासी को यह निदेश देती है कि वह न्यास-धन को ऐसी प्रतिभूतियों में से किन्हीं में विनिहित करे और उन पर लाभांश संचित करे। न्यासी इस निदेश की अवहेलना करता है। उसका यह दायित्व है कि हिताधिकारी के विकल्प के अनुसार या तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का या ऐसी प्रतिभूतियों की रकम का जिन्हें वह न्यास-धन से उस समय खरीद सकता था जब कि विनिधान किया जाना चाहिए था, उस संचय की रकम सहित जो अन्तःकालीन लाभांशों के समुचित विनिधानों से उद्भूत होती, भार उस पर डाला जाए।

(छ) न्यास-सम्पत्ति धारा 20 के खंड (क), (ख), (ग) या (घ) में वर्णित प्रतिभूतियों में से एक में विनिहित है। न्यासी ऐसी प्रतिभूति को न्यास की लिखत के निबन्धनों द्वारा प्राधिकृत न किए गए किसी प्रयोजन के लिए बेचता है। उस पर यह दायित्व है कि वह हिताधिकारी के विकल्प के अनुसार या तो प्रतिभूति के स्थान पर, उस पर के अन्तःकालीन लाभांशों और ब्याज सहित, वैसी ही दूसरी प्रतिभूति दे या विक्रय के आगमों का उन पर ब्याज सहित लेखा दे।

(ज) न्यास-सम्पत्ति भूमि है। न्यासी वह भूमि न्यास की सूचना न रखने वाले सप्रतिफल क्रेता को बेच देता है। न्यासी का यह दायित्व है कि वह हिताधिकारी के विकल्प के अनुसार या तो समान मूल्य की अन्य भूमि खरीद कर वैसे ही न्यास पर व्यवस्थापित करे या ब्याज सहित विक्रय के आगमों का भार उस पर डाला जाए।

24. न्यासी को कोई मुजरा अनुज्ञात नहीं—वह न्यासी, जो न्यास-सम्पत्ति के एक प्रभाग के बारे में किसी न्यास-भंग के द्वारा हुई हानि के लिए दायी हो, अपने दायित्व के विरुद्ध किसी ऐसे अभिलाभ को मुजरा न करा सकेगा जो न्यास-सम्पत्ति के किसी अन्य प्रभाग को किसी अन्य और सुभिन्न न्यास-भंग के प्रोद्भूत हुआ हो।

25. पूर्ववर्ती के व्यतिक्रम के लिए अदायित्व—जहां कि कोई न्यासी किसी अन्य का उत्तरवर्ती होता है वहां वह अपनी उस हैसियत में अपने पूर्ववर्ती के कार्यों और व्यतिक्रमों के लिए दायी नहीं होता है।

26. सहन्यासी के व्यतिक्रम के लिए अदायित्व—धाराओं 13 और 15 के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि एक न्यासी अपने सहन्यासी द्वारा किए गए न्यास-भंग के लिए अपनी उस हैसियत में दायी नहीं होता है :

परन्तु न्यास की लिखत में कोई अभिव्यक्त तत्प्रतिकूल घोषणा के अभाव में न्यासी इस प्रकार दायी वहां होता है—

(क) जहां कि उसने न्यास-सम्पत्ति के उचित उपयोजन पर ध्यान रखे बिना, उसे अपने सहन्यासी को परिदत्त कर दिया हो;

(ख) जहां कि वह अपने सहन्यासी को न्यास-सम्पत्ति प्राप्त करने दे और इस बारे में कि सहन्यासी उस सम्पत्ति से कैसे बरत रहा है सम्यक् जांच करने में असफल रहे या उसे उस सम्पत्ति को अपने पास इतने समय से अधिक प्रतिधारित करने दे जितना कि मामले की परिस्थितियों से युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हो;

(ग) जहां कि उसे अपने सहन्यासी द्वारा कृत या आशयित न्यास-भंग की जानकारी मिल जाए, और वह या तो उसे सक्रिय रूप से छिपाए या हिताधिकारी के हित के संरक्षण के लिए उचित कदम युक्तियुक्त समय के भीतर न उठाए।

रसीद में औपचारिकता के लिए सम्मिलित होना—वह सहन्यासी, जो न्यास-सम्पत्ति के लिए दी गई रसीद को हस्ताक्षरित करने में सम्मिलित होता है और यह साबित कर देता है कि उसने उसे प्राप्त नहीं किया, अपने सहन्यासी द्वारा सम्पत्ति की हानि या दुरुपयोजन के लिए उत्तरदायी केवल ऐसे हस्ताक्षर के कारण ही नहीं हो जाता।

दृष्टांत

क किसी सम्पत्ति की वसीयत **ख** और **ग** को करता है और उन्हें यह निदेश देता है कि वे उसे बेच दें और आगम का विनिधान **घ** के फायदे के लिए कर दें। तदनुसार **ख** और **ग** सम्पत्ति को बेच देते हैं; और क्रय धन **ख** प्राप्त करता है और अपने पास प्रतिधारित करता है। **ग** दो वर्ष तक इस बात पर ध्यान नहीं देता और फिर **ख** से विनिधान करने के लिए कहता है **ख** ऐसा करने में असमर्थ है और दिवालिया हो जाता है, और क्रय धन मारा जाता है। उस रकम की प्रतिपूर्ति करने के लिए **ग** को विवश किया जा सकेगा।

27. सहन्यासियों का पृथक्-पृथक् दायित्व—जहां कि सहन्यासी संयुक्ततः न्यास-भंग करते हैं, या जहां कि उनमें से एक अपनी उपेक्षा से दूसरे को न्यास-भंग करने के लिए समर्थ करता है वहां हर एक सहन्यासी उस भंग से हुई सम्पूर्ण हानि के लिए हिताधिकारी के प्रति दायी होता है।

सहन्यासियों में परस्पर अभिदाय—किन्तु जहां तक स्वयं न्यासियों के बीच का संबंध है, यदि एक किसी अन्य से कम दोषी हो और उसे हानि के लिए प्रतिदाय करना पड़ा हो तो पूर्वकथित पश्चात्कथित को, या उस विस्तार तक उसके विधिक प्रतिनिधि को जिस तक उसे आस्तियां प्राप्त हुई हों, विवश कर सकेगा कि वह ऐसी हानि की प्रतिपूर्ति करे; और यदि सभी समान रूप से दोषी हों तो न्यासियों में से वह एक या अधिक, जिसे या जिन्हें हानि के लिए प्रतिदाय करना पड़ा हो, अभिदाय करने के लिए अन्यो को विवश कर सकेंगे।

इस धारा में की कोई भी बात अभिदाय कराने के लिए वाद संस्थित करने को ऐसे किसी न्यासी को, जो कपट का दोषी रहा हो, प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी।

28. हिताधिकारी द्वारा किए गए अन्तरण की सूचना मिले बिना संदाय करने वाले न्यासी का अदायित्व—जबकि किसी हिताधिकारी का हित किसी अन्य व्यक्ति में निहित हो जाता है, और न्यासी न्यास-सम्पत्ति का संदाय या परिदान इस निधान की सूचना न रखते हुए उस व्यक्ति को करता है, जो ऐसे निधान के अभाव में उस पर हक रखता तो न्यासी इस प्रकार संदत्त या परिदत्त संपत्ति के लिए दायी नहीं होता है।

29. न्यासी का दायित्व, जहां कि हिताधिकारी का हित सरकार को समपहत हो जाता है—जब कि हिताधिकारी का हित [सरकार को] विधि न्यायनिर्णयन द्वारा समपहत या अधिनिर्णीत हो जाता है तब न्यासी न्यास-सम्पत्ति का धारण ऐसे हित के विस्तार तक ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए ऐसे प्रकार से करने के लिए आबद्ध होता है जैसे [राज्य सरकार] इस निमित्त निदेश दे।

30. न्यासियों की क्षतिपूर्ति—न्यास की लिखत और धाराओं 23 और 26 के उपबंधों के अध्यक्षीन यह है कि न्यासी ऐसे धनों, स्टाकों, निधियों और प्रतिभूतियों के लिए ही क्रमशः भारणीय होंगे, जो क्रमशः उन्हें वास्तव में प्राप्त हों, और उनमें से कोई एक न तो उनमें से किसी अन्य के लिए और न किसी बैंककार, दलाल, या अन्य व्यक्ति के लिए, जिसके हाथों में कोई न्यास-सम्पत्ति रखी जाए, और न किन्हीं स्टाकों, निधियों या प्रतिभूतियों की अपर्याप्तता या कमी के लिए, और न अन्यथा अस्वैच्छिक हानियों के लिए जवाबदार होगा।

अध्याय 4

न्यासियों के अधिकारों और शक्तियों के विषय में

31. हक-विलेख का अधिकार—न्यासी इस बात का हकदार है कि न्यास की लिखत को और उन सभी हक की दस्तावेजों को (यदि कोई हों), जो केवल न्यास-सम्पत्ति के ही संबंध में हैं अपने कब्जे में रखे।

32. व्ययों की प्रतिपूर्ति कर लेने का अधिकार—न्यास-सम्पत्ति में से हर न्यासी न्यास के निष्पादन या न्यास-सम्पत्ति के आपन, परिरक्षण या फायदे या हिताधिकारी के संरक्षण या संभाल में या की बाबत उचित तौर पर उपगत सभी व्ययों मद्धे अपनी प्रतिपूर्ति कर सकेगा या ऐसे व्यय संदत्त कर सकेगा या चुका सकेगा।

यदि वह ऐसे व्ययों का संदाय स्वयं अपने पास से करता है तो ऐसे व्ययों और उन पर ब्याज के लिए न्यास-सम्पत्ति पर उसका प्रथम भार होगा, किन्तु (जब तक कि वे व्यय आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की मंजूरी से न किए गए हों) ऐसे भार का प्रवर्तन या प्रतिषेध करके ही किया जाएगा कि न्यास-सम्पत्ति का कोई भी व्ययन ऐसे व्ययों और ब्याज का पहले संदाय किए बिना न किया जाए।

¹ "सरकार" शब्द का क्रमशः भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 और विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा संशोधन किया गया है। इन संशोधनों के पश्चात् यह उपर्युक्त रूप में आया।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

यदि न्यास-सम्पत्ति निष्फल हो जाए तो न्यासी को यह हक होगा कि जिस हिताधिकारी की ओर से उसने कार्य किया, और जिसकी अभिव्यक्त या विवक्षित प्रार्थना पर उसने संदाय किया, उससे ऐसे व्ययों की राशि वैयक्तिक रूप से वसूल कर ले।

भूलवश किए गए अतिसंदाय लेखे हानिपूर्ति का अधिकार—जहां कि न्यासी ने हिताधिकारी को भूलवश अतिसंदाय कर दिया हो वहां वह न्यास-सम्पत्ति की प्रतिपूर्ति हिताधिकारी के हित में से कर सकेगा। यदि ऐसे हित निष्फल हो जाए तो न्यासी को यह हक होगा कि वह ऐसे अतिसंदाय की राशि हिताधिकारी से वैयक्तिक रूप से वसूल कर ले।

33. जिसे न्यास-भंग से अभिलाभ हुआ है उससे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार—न्यासी से भिन्न जिस व्यक्ति को न्यास-भंग से कोई अभिलाभ हुआ हो, उसे न्यासी की क्षतिपूर्ति ऐसे भंग से उस व्यक्ति को वास्तव में प्राप्त राशि की मात्रा तक करनी होगी और जहां कि वह हिताधिकारी हो, वहां न्यासी का ऐसी रकम के लिए भार उस हिताधिकारी के हित पर होगा।

इस धारा में की कोई भी बात उस न्यासी को, जो उस न्यास-भंग को करने में कपट का दोषी रहा है, अपनी क्षतिपूर्ति कराने का हकदार बनाने वाली न समझी जाएगी।

34. न्यास-सम्पत्ति को प्रबंध में राय लेने के लिए न्यायालय से आवेदन करने का अधिकार—कोई भी न्यासी आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की राय, सलाह, या निदेश किन्हीं ऐसे व्यौरों, कठिनाई या महत्व के प्रश्नों से, जो न्यायालय की राय में संक्षिप्त निपटारे के लिए उचित न हों, भिन्न किसी भी ऐसे वर्तमान प्रश्न की बाबत, जो न्यास-सम्पत्ति के प्रबंध या प्रशासन के बारे में हो, लेने के लिए आवेदन, वाद संस्थित किए बिना, उस न्यायालय से अर्जी द्वारा कर सकेगा।

ऐसी अर्जी की प्रति की तामील आवेदन में हितबद्ध व्यक्तियों में से उन पर की जाएगी और उसकी सुनवाई में वे हाजिर रह सकेंगे जिन्हें न्यायालय ठीक समझे।

उस न्यासी के बारे में, जो ऐसी अर्जी में तथ्यों का कथन सद्भावपूर्वक करे, और न्यायालय द्वारा दी गई राय, सलाह या निदेश पर कार्य करे, जहां तक स्वयं उसके उत्तरदायित्व का संबंध है, यह समझा जाएगा कि आवेदन की विषयवस्तु के प्रति उसने ऐसे न्यासी के तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिया है।

इस धारा के अधीन हर आवेदन का खर्च उस न्यायालय के विवेकाधीन होगा जिससे वह किया गया हो।

35. लेखाओं के परिनिर्धारण का अधिकार—जब कि न्यासी के उसकी उस हैसियत के कर्तव्य पूरे हो जाते हैं तब वह न्यास-सम्पत्ति के अपने प्रशासन के लेखाओं की परीक्षा कराने और उन्हें परिनिर्धारित कराने का और जहां कि न्यास के अधीन हिताधिकारी को कुछ भी शोध्य न हो वहां वह उस भाव की लिखित अभिस्वीकृति का हकदार हो जाता है।

36. न्यासी का साधारण प्राधिकार—इस अधिनियम द्वारा और न्यास की लिखत द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, और ऐसी लिखत में अन्तर्विष्ट निर्बन्धनों के, यदि कोई हों, और धारा 17 के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए न्यासी न्यास-सम्पत्ति के आपन, संरक्षण या फायदे के लिए और उस हिताधिकारी के, जो संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है, संरक्षण या संभाल के लिए वे सभी कार्य कर सकेगा जो युक्तियुक्त और उचित हों।

1* * * *

आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की अनुज्ञा के बिना कोई भी न्यास-सम्पत्ति को पट्टे के निष्पादन की तारीख से इक्कीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, तथा जो सर्वोत्तम वार्षिक भाटक युक्तियुक्ततः अभिप्राप्त किया जा सकता हो, उसे आरक्षित किए बिना पट्टे पर नहीं देगा।

37. लाटों में और या तो लोक नीलाम द्वारा या प्राइवेट संविदा द्वारा बेचने की शक्ति—जहां कि न्यासी किसी न्यास-सम्पत्ति को बेचने के लिए सशक्त किया गया हो वहां, जब तक कि न्यास की लिखत में अन्यथा निदेश न हो, वह उसे पूर्विक भारों के अध्यक्षीन रखते हुए या न रखते हुए और या तो इकट्टी या लाटों में, लोक नीलाम द्वारा, या प्राइवेट संविदा द्वारा, और या तो एक ही समय या अनेक समयों पर, बेच सकेगा।

38. विशेष शर्तों के अधीन बेचने की शक्ति—ऐसा कोई भी विक्रय करने वाला न्यासी या तो हक या हक के साक्ष्य के बारे में अथवा अन्यथा, ऐसे युक्तियुक्त अनुबन्ध, जैसे वह ठीक समझे, विक्रय की या विक्रय के लिए संविदा की किन्हीं भी शर्तों में अन्तःस्थापित कर सकेगा; **अन्तःक्रय और पुनर्विक्रय की शक्ति**—और नीलाम द्वारा किए गए किसी भी विक्रय में उस सम्पत्ति या उसके किसी भाग का अन्तःक्रय और किसी विक्रय के लिए संविदा का विखण्डन या उसमें फेरफार और उस सम्पत्ति का पुनर्विक्रय, जो ऐसे अन्तःक्रीत की गई हो या जिसके बारे में संविदा इस प्रकार विखण्डित की गई हो, हिताधिकारी के प्रति किसी ऐसी हानि के लिए, जो तद्द्वारा हो, उत्तरदायी हुए बिना, कर सकेगा।

न्यास-सम्पत्ति को बेचने के लिए अनुज्ञात समय—जहां कि न्यासी को निदेश दिया गया हो कि वह न्यास-सम्पत्ति को बेच दे या न्यास-धन की सम्पत्ति के क्रय में विनिहित कर दे, वहां वह विक्रय या क्रय करने के समय के बारे में युक्तियुक्त स्वविवेक का प्रयोग कर सकेगा।

¹ 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 तथा अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा द्वितीय पैरा निरसित।

दृष्टांत



(क) क यह निदेश ख को देते हुए कि वह सम्पत्ति को सुविधानुसार पूर्ण शीघ्रता से बेच दे और आगम ग को दे दे, सम्पत्ति की वसीयत ख को करता है। इससे तुरन्त विक्रय करना लाजिमी नहीं हो जाता।

(ख) क यह निदेश ख को देते हुए कि वह सम्पत्ति का विक्रय उस समय में और उस रीति से कर दे, जो वह ठीक समझे, और आगमों को ग के फायदे के लिए विनिहित कर दे, सम्पत्ति की वसीयत ख को करता है। जहां तक कि ख और ग के बीच का सम्बन्ध है इससे विक्रय को अनिश्चित समय तक मुलतवी रखने का प्राधिकार ख को नहीं मिल जाता।

39. हस्तान्तरण की शक्ति—ऐसे किसी विक्रय को पूरा करने के प्रयोजन के लिए न्यासी को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह बची गई सम्पत्ति का हस्तान्तरण या अन्यथा व्ययन उस रीति से कर दे जो आवश्यक हो।

40. विनिधानों में तब्दीली करने की शक्ति—न्यासी किसी भी प्रतिभूति में विनिहित किसी भी न्यास-सम्पत्ति को अपने विवेकानुसार वापस निकाल सकेगा और उसे धारा 20 में वर्णित या निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में से किसी में भी विनिहित कर सकेगा और समय-समय पर ऐसे किन्हीं भी विनिधानों को उसी प्रकार के अन्य विनिधानों में बदल सकेगा :

परन्तु जहां कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो संविदा करने के लिए सक्षम हो और न्यास-सम्पत्ति की आय को आजीवन या किसी बृहत्तर संपदार्थ प्राप्त करने का उस समय हकदार हो, वहां विनिधान की ऐसी कोई भी तब्दीली उसकी लिखित सम्मति के बिना नहीं की जाएगी।

41. अप्राप्तवय आदि की सम्पत्ति उनके भरण-पोषण आदि में लगाने की शक्ति—जहां कि कोई सम्पत्ति किसी न्यासी द्वारा किसी अप्राप्तवय के लिए न्यास के रूप में धारित हो वहां ऐसा न्यासी ऐसी सम्पत्ति से सम्बन्धित वह आय, जिसका वह अप्राप्तवय हकदार हो, पूर्णतः या उसका कोई भाग ऐसे अप्राप्तवय के संरक्षक को (यदि कोई हो) संदत्त कर सकेगा, अथवा ऐसे अप्राप्तवय के भरण-पोषण या शिक्षा या जीवन में उन्नति करने अथवा धार्मिक उपासना, विवाह या अन्त्येष्टि के युक्तियुक्त व्ययों के लिए या व्ययों के लेखे अपने विवेकानुसार अन्यथा उपयोजित कर सकेगा, और ऐसा न्यासी ऐसी आय की सब अवशिष्टि तथा उससे होने वाली आय को समय-समय पर धारा 20 में वर्णित या निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में से किसी में विनिहित करके चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा उस व्यक्ति के फायदे के लिए संचित करेगा जो अन्ततः उस सम्पत्ति का हकदार होगा जिससे ऐसे संचय उद्भूत हुए हों; परन्तु यदि ऐसा न्यासी ठीक समझे तो वह ऐसे पूरे संचयों को या उनके किसी भाग को किसी भी समय ऐसे उपयोजित कर सकेगा मानो वे तत्समय चालू वर्ष में उद्भूत आय के भाग हों।

जहां कि न्यास-सम्पत्ति की आय अप्राप्तवय के भरण-पोषण या शिक्षा या जीवन में उन्नति करने, या उसकी धार्मिक उपासना, विवाह या अन्त्येष्टि के युक्तियुक्त व्ययों के लिए अपर्याप्त है, वहां न्यासी आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की अनुज्ञा से, न कि अन्यथा, ऐसी पूरी सम्पत्ति को या उसके किसी भाग को ऐसे भरण-पोषण, शिक्षा, उन्नति या व्ययों के लिए या व्ययों के लेखे उपयोजित कर सकेगा।

इस धारा में की कोई भी बात अप्राप्तवयों के शरीरों या सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी तत्समय प्रवृत्त स्थानीय विधि के उपबन्धों पर प्रभाव डालने वाली न समझी जाएगी।

42. रसीदें देने की शक्ति—कोई भी न्यासी किसी भी न्यास या शक्ति के कारण या प्रयोग में उन्हें या उसे देय, अन्तरणीय या परिदेय किसी भी धन, प्रतिभूतियों या अन्य जंगम सम्पत्ति के लिए लिखित रसीद दे सकेंगे या दे सकेगा; और कपट के अभाव में ऐसी रसीद उनका संदाय, अन्तरण या परिदान करने वाले व्यक्ति को, उनसे तथा उनके उपयोजन की देखभाल रखने से, या उनकी किसी हानि या दुरुपयोजन का लेखा देने के दायित्व से, उन्मोचित कर देगी।

43. शमन आदि करने की शक्ति—मिलकर कार्य करते हुए दो या अधिक न्यासी, यदि और जैसा वे ठीक समझें :—

(क) किसी ऋण या दावाकृत सम्पत्ति के लिए कोई प्रशमन या प्रतिभूति प्रतिगृहीत कर सकेंगे;

(ख) किसी ऋण को चुकाने के लिए कोई समय अनुज्ञात कर सकेंगे;

(ग) न्यास-सम्बन्धी किसी भी ऋण, लेखा, दावे या चीज का, चाहे वह कुछ भी हो, समझौता, शमन-परित्याग, या माध्यस्थम् के लिए निवेदन कर सकेंगे या उसे अन्यथा निबटा सकेंगे; तथा

(घ) उन प्रयोजनों में से किसी के लिए भी ऐसे करार, ऐसे प्रशमन या ठहराव की लिखतें, निर्मुक्ति और ऐसी अन्य बातें, जो उन्हें समीचीन प्रतीत हो, अपने द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए किसी भी कार्य या बात से हुई किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी हुए बिना, करे या दे या निष्पादित कर सकेंगे।

जबकि न्यास की लिखत द्वारा, यदि कोई हो, एकमात्र न्यासी न्यासों और उनकी शक्तियों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत हो तब वे शक्तियां जो मिलकर कार्य करने वाले दो या अधिक न्यासियों को इस धारा द्वारा प्रदत्त हैं कार्य करने वाले एकमात्र न्यासी द्वारा प्रयुक्त की जा सकेंगी।

यह धारा तब और वहां तक ही लागू होगी जब और जहां तक कि न्यास की लिखत में, यदि कोई हो, प्रतिकूल आशय अभिव्यक्त न हो, और यह उस लिखत के निबन्धनों और उसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए ही प्रभावशील होगी।

यह धारा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् सृष्ट न्यासों को ही लागू होती है।

44. कई न्यासियों को, जिनमें से एक इन्कार कर दे या मर जाए, दी गई शक्ति—जबकि न्यास-सम्पत्ति से बरतने का प्राधिकार कई न्यासियों को दिया गया हो और उनमें से एक इन्कार कर दे या मर जाए तो उस प्राधिकार का प्रयोग शेष न्यासी तब के सिवाय कर सकेंगे जबकि न्यास की लिखत के निबन्धनों से यह प्रकट होता हो कि उस प्राधिकार का प्रयोग बचे हुए न्यासियों की संख्या से अधिक संख्या द्वारा किया जाना है।

45. न्यासी की शक्तियों का डिक्री द्वारा निलम्बन—जहां कि किसी न्यास के निष्पादन के लिए किए गए वाद में कोई डिक्री दी गई हो वहां न्यासी अपनी शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग, ऐसी डिक्री के अनुरूप करने, या उस न्यायालय की, जिसके द्वारा डिक्री दी गई हो या जहां कि उस डिक्री के विरुद्ध अपील लंबित हो वहां अपील न्यायालय की मंजूरी से करने के सिवाय, नहीं करेगा।

अध्याय 5

न्यासियों की नियोग्यताओं के विषय में

46. न्यासी प्रतिग्रहण कर लेने के पश्चात् त्याग नहीं कर सकता—वह न्यासी जिसने, न्यास प्रतिगृहीत कर लिया है तदुपरांत उसका त्याग (क) आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की अनुज्ञा से, या (ख) यदि हिताधिकारी संविदा करने के लिए सक्षम है, तो उसकी सम्मति से, या (ग) न्यास की लिखत में की किसी विशेष शक्ति के आधार पर, करने के सिवाय नहीं कर सकता।

47. न्यासी प्रत्यायोजन नहीं कर सकता—न्यासी अपने पद को या अपने कर्तव्यों में से किसी को भी किसी सहन्यासी या पर व्यक्ति के पक्ष में तब के सिवाय प्रत्यायोजित नहीं कर सकता जबकि (क) न्यास की लिखत में ऐसा उपबन्धित हो, या (ख) प्रत्यायोजन कारबार के नियमित अनुक्रम में हो, या (ग) प्रत्यायोजन आवश्यक हो, या (घ) हिताधिकारी संविदा करने के लिए सक्षम होते हुए, प्रत्यायोजन से सम्मत हो गया हो।

स्पष्टीकरण—कोई ऐसा कार्य करने के लिए, जो केवल लिपिकवर्गीय प्रकृति का हो और जिसमें स्वतन्त्र विवेक का प्रयोग करना अन्तर्वलित न हो, अटर्नी या परोक्षी नियुक्त करना इस धारा के अर्थ के अन्दर प्रत्यायोजन नहीं है।

दृष्टांत

(क) क, कुछ सम्पत्ति की वसीयत ख और ग को उन कतिपय न्यासों पर करता है जिनका निष्पादन ख और ग द्वारा या उनमें से उत्तरजीवी द्वारा या ऐसे उत्तरजीवी के समनुदेशितियों द्वारा किया जाना है; ख मर जाता है। और ग सम्पत्ति की वसीयत क की विल में के न्यासों पर घ और ङ को कर सकेगा।

(ख) ख किसी सम्पत्ति को बेचने की शक्ति रखते हुए उस सम्पत्ति का न्यासी है। क उसे बेचने के लिए कोई नीलामकर्ता नियोजित कर सकेगा।

(ग) क मासिक भाटकों पर उठे पचास गृहों की वसीयत ख को इस न्यास पर करता है कि वह भाटक संगृहीत करे और उनका संदाय ग को करे। ख इन भाटकों को संगृहीत करने के लिए कोई उचित व्यक्ति नियोजित कर सकेगा।

48. सहन्यासी अकेले कार्य नहीं कर सकते—जब कि न्यासी एक से अधिक हों तब न्यास के निष्पादन में सभी को उस सूरत में के सिवाय सम्मिलित होना होगा, जिसमें कि न्यास की लिखत में अन्यथा उपबन्धित हो।

49. वैवेकिक शक्ति का नियंत्रण—जहां कि न्यासी को प्रदत्त किसी वैवेकिक शक्ति का प्रयोग युक्तियुक्त रूप से और सद्भावपूर्वक न किया जाए, वहां ऐसी शक्ति का नियंत्रण आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा।

50. न्यासी सेवाओं के लिए प्रभार नहीं ले सकेगा—न्यास की लिखत में अन्तर्विष्ट तत्प्रतिकूल अभिव्यक्त निदेशों के, या न्यास प्रतिगृहीत करते समय हिताधिकारी या न्यायालय के साथ की गई तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में न्यासी को न्यास के निष्पादन में अपने परिश्रम और कौशल और समय की हानि के लिए पारिश्रमिक का कोई अधिकार न होगा।

इस धारा में की कोई भी बात किसी शासकीय न्यासी, महाप्रशासक, लोक-रक्षक या प्रशासन-प्रमाणपत्र रखने वाले व्यक्ति को लागू नहीं होती।

51. न्यासी न्यास-सम्पत्ति को अपने लाभ के उपयोग में नहीं ला सकेगा—न्यासी न्यास सम्पत्ति को स्वयं अपने लाभ के लिए या न्यास से असंस्कत किसी अन्य प्रयोजन के लिए न तो उपयोग में ला सकेगा, न बरत सकेगा।

52. विक्रयार्थ न्यासी या उसका अभिकर्ता खरीद नहीं सकेगा—कोई भी न्यासी, जिसका कर्तव्य न्यास-सम्पत्ति को बेचना हो, और ऐसे न्यासी द्वारा विक्रय के प्रयोजनार्थ नियोजित कोई भी अभिकर्ता, प्रत्यक्षतः, या परोक्षतः, उसे या उसमें का कोई हित स्वयं अपने लेखे या किसी परव्यक्ति के अभिकर्ता के तौर पर नहीं खरीद सकेगा।

53. न्यासी हिताधिकारी का हित अनुज्ञा के बिना नहीं खरीद सकेगा—कोई भी न्यासी और कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसका न्यासी रहना हाल ही में समाप्त हुआ हो, आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की अनुज्ञा के बिना न्यास सम्पत्ति या

उसका कोई भी भाग नहीं खरीद सकेगा, और न उसका बन्धकदार या पट्टेदार हो सकेगा; और ऐसी अनुज्ञा तब के सिवाय नहीं दी जाएगी जब कि प्रस्थापित क्रय, बन्धक या पट्टा हिताधिकारी के स्पष्टतः लाभार्थ हो।

क्रयार्थ न्यासी—और कोई भी न्यासी, जिनका कर्तव्य हिताधिकारी के लिए किसी विशिष्ट सम्पत्ति को खरीदना या उसका बन्धक या पट्टा अभिप्राप्त करना हो, अपने लिए उसे या उसके किसी भाग को न खरीद सकेगा और न उसका बन्धक या पट्टा अभिप्राप्त कर सकेगा।

54. सहन्यासी अपने में से किसी को उधार नहीं दे सकेंगे—वह न्यासी या सहन्यासी, जिसका कर्तव्य बन्धक पर या वैयक्तिक प्रतिभूति पर न्यास-धन का विनिधान करना हो, अपने या अपने सहन्यासियों में से किसी के द्वारा किए गए बन्धक पर या अपनी या उसकी वैयक्तिक प्रतिभूति पर उसे विनिहित न करेगा।

अध्याय 6

हिताधिकारी के अधिकारों और दायित्वों के विषय में

55. भाटकों और लाभों का अधिकार—हिताधिकारी को न्यास की लिखत के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए न्यास-संपत्ति के भाटक और लाभ पाने का अधिकार होता है।

56. विनिर्दिष्ट निष्पादन का अधिकार—हिताधिकारी न्यासकर्ता के आशय का अपने हित के विस्तार तक विनिर्दिष्ट निष्पादन कराने का हकदार होता है;

कब्जे का अन्तरण का अधिकार—और जहां कि केवल एक हिताधिकारी हो और वह संविदा करने के लिए सक्षम हो, या जहां कि कई हिताधिकारी हों और वे संविदा करने के लिए सक्षम हों और सभी एक मन के हों, वहां वह या वे न्यासी से अपेक्षा कर सकेगा या कर सकेंगे कि न्यासी न्यास-संपत्ति का अन्तरण ऐसे हिताधिकारी या हिताधिकारियों को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह या वे निदिष्ट करे या करें, कर दें।

जब कि सम्पत्ति का अन्तरण या वसीयत विवाहिता स्त्री के फायदे के लिए ऐसे की गई है कि उसे यह शक्ति प्राप्त नहीं होगी कि वह अपने आपको अपने फायदाप्रद हित से वंचित कर ले, तब इस धारा के द्वितीय खंड में की कोई भी बात उसकी वैवाहिक स्थिति कायम रहने तक ऐसी सम्पत्ति को लागू नहीं होती।

दृष्टांत

(क) कुछ सरकारी प्रतिभूतियां न्यासियों को इस न्यास पर दी जाती है कि उन पर का ब्याज क के 24 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक संचित किया जाए और फिर कुल रकम उसे अन्तरित कर दी जाए। प्राप्तवय होने पर क, न्यास-संपत्ति में अनन्य रूप से हितबद्ध व्यक्ति के नाते, न्यासियों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे वह कुल रकम उसे तुरन्त अन्तरित कर दें।

(ख) क 10,000 रुपए की वसीयत न्यासियों को इस न्यास पर करता है कि ख के लिए, जो प्राप्तवय हो चुका है और संविदा करने के लिए अन्यथा सक्षम है, एक वार्षिकी खरीद दी जाए। ख उन 10,000 रुपयों का दावा कर सकेगा।

(ग) क कुछ सम्पत्ति ख को अन्तरित करता है और वह सम्पत्ति ग के फायदे के लिए, जो संविदा करने के लिए सक्षम है, बेच देने या विनिहित कर देने का निदेश उसे देता है। ग सम्पत्ति को उसके मूल रूप में ही लेने का निर्वाचन कर सकेगा।

57. न्यास की लिखत, लेखाओं आदि का निरीक्षण करने और उनकी प्रतियां लेने का अधिकार—हिताधिकारी को यह अधिकार, न्यासी के विरुद्ध और उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले सभी ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्हें उस न्यास की सूचना है, प्राप्त होगा कि वह न्यास की लिखत, केवल न्यास-संपत्ति से ही सम्बन्धित हक-दस्तावेजों, न्यास-संपत्ति संबंधी लेखाओं और उन वाउचरों का (यदि कोई हों) जिनसे वे समर्थित हैं तथा उन मामलों का, जो न्यासी ने अपने कर्तव्य के निर्वहन में अपने मार्गदर्शन के लिए राय के लिए पेश किए हों, और ली हुई रायों का निरीक्षण करे और उनकी प्रतियां ले।

58. फायदाप्रद हित के अन्तरण का अधिकार—हिताधिकारी, यदि वह संविदा करने के लिए सक्षम हो, अपने हित का अन्तरण कर सकेगा, किन्तु उस तत्समय प्रवृत्त विधि के अध्यक्षीन ही कर सकेगा जो कि उन परिस्थितियों और उस विस्तार के बारे में हो जिनमें और जिस तक वह ऐसे हित का व्ययन कर सकता है :

परन्तु जब कि सम्पत्ति का अन्तरण या वसीयत विवाहित स्त्री के फायदे के लिए ऐसे की गई हो कि उसे यह शक्ति प्राप्त नहीं होगी कि वह अपने आपको अपने फायदाप्रद हित से वंचित कर ले, तब इस धारा में की कोई भी बात उसकी वैवाहिक स्थिति कायम रहने तक ऐसे हित का अन्तरण करने के लिए उसे प्राधिकृत नहीं करेगी।

59. न्यास के निष्पादन के लिए वाद लाने का अधिकार—जबकि कोई भी न्यासी नियुक्त न किए गए हों या सभी न्यासी मर जाएं, इन्कार कर दें या जहां उन्मोचित कर दिए जाएं, या जहां कि किसी न्यास का निष्पादन न्यासी द्वारा किया जाना किसी अन्य कारणवश असाध्य है या हो जाता है तब हिताधिकारी न्यास के निष्पादन के लिए वाद संस्थित कर सकेगा और किसी न्यासी या नए न्यासी की नियुक्ति होने तक उस न्यास का यथासंभव निष्पादन न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

60. यह अधिकार कि न्यासी उचित हों—न्यास की लिखत के उपबन्धों के अधीन रहते हुए हिताधिकारी का यह अधिकार है कि न्यास-सम्पत्ति की संरक्षा, धारण और प्रशासन उचित व्यक्तियों द्वारा और ऐसे व्यक्तियों की उचित संख्या द्वारा उचित तौर पर किया जाए।



स्पष्टीकरण 1—निम्नलिखित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के अन्दर उचित व्यक्ति नहीं हैं—

विदेश में अधिवासी व्यक्ति; अन्यदेशीय शत्रु; हिताधिकारी के हित से असंगत हित रखने वाला व्यक्ति; दिवाले की परिस्थितियों वाला व्यक्ति; और तब के सिवाय जब कि हिताधिकारी की स्वीय विधि अन्यथा अनुज्ञात करती हो, विवाहित स्त्री और अप्राप्तवय।

स्पष्टीकरण 2—जबकि न्यास के प्रशासन में धन की प्राप्ति और अभिरक्षा अन्तर्वलित हो, तब न्यासियों की संख्या कम से कम दो होनी चाहिए।

दृष्टांत

(क) क, जो कई हिताधिकारियों में से एक है, यह साबित कर देता है कि न्यासी ख ने न्यास-सम्पत्ति के भाग का अनुचित व्ययन किया है, या यह कि इस कारण कि ख दिवाले की परिस्थितियों में है, सम्पत्ति संकट में है, या यह कि वह न्यासी के तौर पर कार्य करने के लिए असमर्थ हो गया है। क न्यास-सम्पत्ति के लिए रिसीवर अभिप्राप्त कर सकेगा।

(ख) ख कुछ आभूषणों की ख की वसीयत ग के लिए न्यास पर करता है। क के जीवनकाल में ख मर जाता है; तदुपरान्त क मर जाता है। ग वह सम्पत्ति अपने लिए किसी न्यासी को हस्तान्तरित कराने का हकदार है।

(ग) क चार न्यासियों को किसी सम्पत्ति का हस्तान्तरण ख के लिए न्यास पर करता है। न्यासियों में से तीन मर जाते हैं। ख मृत न्यासियों के स्थान पर तीन न्यासी नियुक्त कराने के लिए वाद संस्थित कर सकेगा।

(घ) क तीन न्यासियों को किसी सम्पत्ति का हस्तान्तरण ख के लिए न्यास पर करता है। सभी न्यासी इन्कार कर देते हैं। ख इस प्रकार इन्कार करने वाले न्यासियों के स्थान पर तीन न्यासी नियुक्त कराने के लिए वाद संस्थित कर सकेगा।

(ङ) ख के लिए न्यासी क कार्य करने से इन्कार कर देता है, या [भारत] के बाहर स्थायी तौर पर निवास करने चला जाता है, या दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, या अपने लेनदारों के साथ प्रशमन कर लेता है, या किसी सहन्यासी को न्यास-भंग करने देता है। क को हटवाने और उसके स्थान पर नए न्यासी को नियुक्त कराने के लिए ख वाद संस्थित कर सकेगा।

61. कोई कर्तव्य कार्य करने को विवश करने का अधिकार—हिताधिकारी को अधिकार है कि उसका न्यासी अपनी वैसी हैसियत में अपने कर्तव्य के किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए विवश किया जाए और कोई अनुध्यात या अधिसम्भाव्य न्यास-भंग करने से अवरुद्ध कर दिया जाए।

दृष्टांत

(क) क यह संविदा ख से करता है कि वह उसे ग के फायदे के लिए 1,000 रुपए मासिक का संदाय करेगा। ख यह घोषित करते हुए कि वह इस प्रकार संदत्त धन का धारण ग के लिए न्यास पर करेगा, एक पत्र लिखता है, और हस्ताक्षरित करता है। क अपनी संविदा के अनुसार धन का संदाय करने में असफल रहता है। ग संविदा पर ख के नाम में वाद लाने की अनुज्ञा क्षतिपूर्ति के उचित प्रबन्ध पर ग को देने के लिए ख को विवश कर सकेगा।

(ख) क किसी भूमि का न्यासी है और उसे बेचने और आगमों का संदाय ख और ग को बराबर-बराबर करने की शक्ति उसे प्राप्त है। क उस भूमि का अदूरदर्शी विक्रय करने ही वाला है। उस विक्रय को करने से क को अवरुद्ध करने का व्यादेश निकलवाने के लिए वाद ख स्वयं अपनी और ग की ओर से ला सकेगा।

62. न्यासी द्वारा सदोष क्रय—जहां कि न्यासी ने न्यास-सम्पत्ति सदोष खरीदी हो वहां उस सम्पत्ति को न्यास के अधीन घोषित कराने का अथवा, यदि वह न्यासी के हाथ में अविक्रीत हो तो न्यासी से या यदि वह न्यासी से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे न्यास की सूचना थी, खरीद ली गई हो तो उस व्यक्ति से प्रति-अन्तरित करा लेने का अधिकार हिताधिकारी को प्राप्त होता है; किन्तु ऐसी दशा में हिताधिकारी को उस क्रय-धन का, जो न्यासी ने दिया हो, ब्याज सहित तथा ऐसे अन्य व्ययों सहित (यदि कोई हों), जो उसने सम्पत्ति के परिरक्षण में उचित रूप से उपगत किए हों प्रतिसंदाय करना होगा, तथा न्यासी का क्रेता को (क) सम्पत्ति के शुद्ध लाभों का लेखा देना होगा, (ख) यदि सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा उसके पास रहा हो, तो अधिभोग-भाटक से भारित किया जाएगा, और (ग) यदि न्यासी या क्रेता के कार्यों या लोपों से सम्पत्ति का क्षय हुआ हो तो हिताधिकारी को यह अनुज्ञा देनी होगी कि वह क्रय-धन का आनुपातिक भाग काट ले।

इस धारा में की कोई भी बात—

(क) उन पट्टेदारों और अन्यो के अधिकारों का ह्रास नहीं करती जिन्होंने सम्पत्ति को न्यास के अधीन घोषित कराने या प्रति-अन्तरित कराने के वाद के संस्थित किए जाने के पूर्व न्यासी या क्रेता से सद्भावपूर्वक संविदा की हो; तथा

¹ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ख) सम्पत्ति को न्यास के अधीन घोषित कराने या प्रति अन्तरित कराने का हक हिताधिकारी को वहां प्रदान नहीं करती जहां कि स्वयं उसने संविदा करने के लिए सक्षम होते हुए न्यासी को हुए विक्रय का अनुसमर्थन, प्रपीडन किए गए या असम्यक् असर डाले गए बिना, और मामले के तथ्यों का और न्यासी के विरुद्ध अपने अधिकारों का पूर्ण ज्ञान रखते हुए, किया हो।

63. न्यास-सम्पत्ति का पीछा परव्यक्तियों के हाथों तक किया जाना—जहां कि न्यास-सम्पत्ति न्यास से असंगत रूप में किसी परव्यक्ति के हाथ में आ जाए, वहां हिताधिकारी उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह यह बात प्ररूपतः स्वीकृत कर ले कि वह सम्पत्ति न्यास में समाविष्ट है या इस बात की घोषणा के लिए वाद संस्थित कर सकेगा।

उसकी संपरिवर्तित अवस्था तक किया जाना—जहां कि न्यासी न्यास-सम्पत्ति का व्ययन कर देता है और जो धन या अन्य सम्पत्ति उसने उसके बदले प्राप्त की हो, उसके बारे में यह पता चलता है कि वह उसके या उसके विधिक प्रतिनिधि या वसीयतदार के हाथों में है वह हिताधिकारी को उसकी बाबत यथाशक्य निकटतम वे ही अधिकार होंगे जो उसे मूल न्यास-सम्पत्ति की बाबत प्राप्त थे।

दृष्टांत

(क) क, जो ख का 10,000 रुपए के लिए न्यासी है, वे 10,000 रुपए किसी भूमि के क्रय में सदोष विनिहित करता है। ख उस भूमि का हकदार है।

(ख) न्यासी क अंशतः अपने धन से और अंशतः उस धन से जो ख के लिए न्यास के अध्यक्षीन है, अपने नाम में भूमि सदोष खरीदता है। ख इस प्रकार दुरुपयोजित न्यास-धन की रकम का भार उस भूमि पर डालने का हकदार है।

64. कुछ अन्तरितियों के अधिकारों की व्यावृत्ति—धारा 63 में की कोई भी बात हिताधिकारी को उस सम्पत्ति के संबंध में किसी अधिकार का हकदार नहीं बनाती, जो—

(क) उस सद्भावपूर्वक सप्रतिफल अन्तरिती के हाथों में हो, जिसे उस न्यास की सूचना न तो उस समय थी जब क्रय-धन का संदाय किया गया और न उस समय थी जब हस्तान्तरपत्र निष्पादित किया गया, अथवा

(ख) ऐसे अन्तरिती से सप्रतिफल अन्तरिती के हाथों में हो।

न्यासी का वह निर्णीत-लेनदार जिसने कि न्यास-सम्पत्ति कुर्क कराई और खरीदी हो इस धारा के अर्थ के अन्दर सप्रतिफल अन्तरिती नहीं है।

धारा 63 में की कोई भी बात किसी ऐसे सद्भावपूर्वक धारक के हाथों में के धन, करेंसी नोटों और परक्राम्य लिखतों को लागू नहीं होती जिसके हाथ में वे परिचलन में आए हैं, और न भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 108 पर या उस व्यक्ति के दायित्व पर, जिसे कोई ऋण या भार अन्तरित किया गया हो, प्रभाव डालने वाली समझी जाएगी।

65. सदोष संपरिवर्तित न्यास-सम्पत्ति का न्यासी द्वारा अर्जन—जहां कि कोई न्यासी न्यास-सम्पत्ति को सदोष बेचता या अन्यथा अन्तरित करता है और तदुपरान्त स्वयं उस सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है, वहां, यह होते हुए भी कि सद्भावपूर्वक सप्रतिफल मध्यवर्ती अन्तरितियों को सूचना का कोई अभाव था, वह सम्पत्ति पुनः न्यास के अध्यक्षीन हो जाती है।

66. मिला ली गई सम्पत्ति की दशा में अधिकार—जहां कि न्यासी न्यास-सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति के साथ सदोष मिला लेता है वहां हिताधिकारी अपने को शोध्य रकम का भार सम्पूर्ण निधि पर डालने का हकदार है।

67. भागीदार-न्यासी द्वारा भागीदारी के प्रयोजनों के लिए न्यास-सम्पत्ति का सदोष नियोजन—यदि कोई भागीदार, न्यासी होते हुए, न्यास-सम्पत्ति को भागीदारी के कारबार में या के लेखे सदोष तौर पर नियोजित करता है तो कोई भी अन्य भागीदार हिताधिकारियों के प्रति अपनी वैयक्तिक हैसियत में उसके लिए तब के सिवाय दायी नहीं होता है जब कि उसे उस न्यास-भंग की सूचना थी।

ऐसी सूचना रखने वाले भागीदार न्यास-भंग के लिए संयुक्ततः और पृथक्तः दायी होते हैं।

दृष्टांत

(क) क और ख भागीदार हैं। क अपनी सब सम्पत्ति की वसीयत ख को य के लिए न्यास पर करके और ख को अपना एकमात्र निष्पादक नियुक्त करके मर जाता है। ख भागीदारी के कार्यकलाप का परिसमापन करने के बजाय सारी आस्तियां कारबार में प्रतिधारित करता है। पूंजी में के क के अंश से जितने लाभ उत्पन्न हुए हैं उतने का लेखा भागीदार की हैसियत में देने के लिए ख को य विवश कर सकेगा। क की आस्तियों को अनुचित तौर पर नियोजित करने के लिए भी य के प्रति ख जवाबदार है।

(ख) एक व्यापारी क अपनी सम्पत्ति की वसीयत ख को ग के लिए न्यास पर करके और ख को अपना एकमात्र निष्पादक नियुक्त करके मर जाता है। भ और म के साथ ख उसी व्यापार में भागीदारी में प्रविष्ट होता है और क की आस्तियां भागीदारी के कारबार में नियोजित करता है। ग के दावों के विरुद्ध भ और म की क्षतिपूर्ति करने का ख परिवचन देता है। यहां भ और म, ख द्वारा किए गए न्यास-भंग में जानते हुए पक्षकार होने के नाते ख के साथ ग के प्रति संयुक्ततः दायी हैं।

68. न्यास-भंग में सम्मिलित होने वाले हिताधिकारी का दायित्व—जहां कि कई हिताधिकारियों में से एक—



- (क) न्यास-भंग करने में सम्मिलित हो जाता है, अथवा
- (ख) उससे कोई फायदा, अन्य हिताधिकारियों की सम्मति के बिना, जानते हुए अभिप्राप्त कर लेता है, अथवा
- (ग) किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी न्यास-भंग की जानकारी पा लेता है और या तो उसे वास्तव में छिपाता है या अन्य हिताधिकारियों के हितों की संरक्षा के लिए उचित कदम युक्तियुक्त समय के भीतर नहीं उठाता, अथवा
- (घ) न्यासी को धोखा देता है और एतद्वारा उसे न्यास-भंग करने के लिए उत्प्रेरित करता है,

वहां अन्य हिताधिकारियों को यह हक होता है कि वे उसके समस्त फायदाप्रद हित को उसके विरुद्ध और उन सबके विरुद्ध जो उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा (उस भंग की सूचना के बिना सप्रतिफल अन्तरिती के रूप में करने से अन्यथा) करते हों, तब तक के लिए परिवर्द्ध करा लें, जब तक कि उस भंग से हुई हानि के लिए प्रतिकर न मिल जाए।

जबकि सम्पत्ति का अन्तरण या वसीयत विवाहिता स्त्री के फायदे के लिए ऐसे की गई है कि उसे यह शक्ति प्राप्त न होगी कि वह अपने आपको अपने फायदाप्रद हित से वंचित कर ले, तब इस धारा में की कोई भी बात उसकी वैवाहिक स्थिति कायम रहने तक ऐसी सम्पत्ति को लागू नहीं होती।

69. हिताधिकारी के अन्तरिती के अधिकार और दायित्व—ऐसा व्यक्ति जिसे कोई हिताधिकारी अपना हित अंतरित करता है, अन्तरण की तारीख को उस हिताधिकारी के ऐसे हित विषयक अधिकारों से युक्त और दायित्वों के अधीन हो जाता है।

अध्याय 7

न्यासी का पद रिक्त हो जाने के विषय में

70. पद किस प्रकार रिक्त होता है—न्यासी का पद उसकी मृत्यु से या अपने पद से उसके उन्मोचन से रिक्त हो जाता है।

71. न्यासी का उन्मोचन—न्यासी का उसके पद से उन्मोचन केवल यथानिम्नलिखित हो सकेगा—

- (क) न्यास के निर्वापन से;
- (ख) न्यास के अधीन के उसके कर्तव्यों की पूर्ति हो जाने से;
- (ग) ऐसे साधनों से, जैसे न्यास की लिखत द्वारा विहित किए गए हों;
- (घ) उसके स्थान पर कोई नया न्यासी इस अधिनियम के अधीन नियुक्त हो जाने से;
- (ङ) उसकी और हिताधिकारी की, या जहां कि एक से अधिक हिताधिकारी हों वहां उन सब हिताधिकारियों की, सम्मति से, जब कि हिताधिकारी या सब हिताधिकारी संविदा करने के लिए सक्षम हों; अथवा
- (च) उस न्यायालय द्वारा जिसमें उसके उन्मोचन के लिए अर्जी इस अधिनियम के अधीन उपस्थापित की गई हो।

72. न्यास से उन्मोचन के लिए अर्जी—धारा 11 के उपबन्धों के होते हुए भी हर न्यासी आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय से अपने पद से उन्मोचित किए जाने के लिए आवेदन अर्जी द्वारा कर सकेगा और, यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष हो कि ऐसे उन्मोचन के लिए पर्याप्त कारण है तो, वह उसे तदनुसार उन्मोचित कर सकेगा और न्यास-सम्पत्ति में से उसके खर्चों का संदाय किए जाने का निदेश दे सकेगा। किन्तु, जहां कि ऐसा कोई कारण न हो, वहां, तब के सिवाय जबकि उसका स्थान लेने के लिए कोई उचित व्यक्ति मिल सके, न्यायालय उसे उन्मोचित नहीं करेगा।

73. मृत्यु, आदि होने पर नए न्यासी की नियुक्ति—जब कभी वह व्यक्ति, जो न्यासी नियुक्त किया गया हो इन्कार कर दे, या कोई मूल अथवा प्रतिस्थापित न्यासी मर जाए या लगातार छह मास की कालावधि तक [भारत] से अनुपस्थित रहे या विदेश में निवास करने के प्रयोजन से [भारत] छोड़ दे, या दिवालिया घोषित कर दिया जाए, या न्यास से उन्मोचित किए जाने की वांछा करे या न्यास में कार्य करने से इन्कार कर दे या आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की राय में न्यास में कार्य करने के लिए अयोग्य या वैयक्तिक रूप से असमर्थ हो जाए या कोई असंगत न्यास प्रतिगृहीत कर ले, तब उसके स्थान में नए न्यासी की नियुक्ति—

(क) उस व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जो कि न्यास की लिखत (यदि कोई हो) द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट हो, अथवा

(ख) यदि ऐसा कोई व्यक्ति न हो या ऐसा कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए योग्य और रजामन्द न हो तो, यदि न्यासकर्ता जीवित और संविदा करने के लिए सक्षम हो तो उसके द्वारा, या तत्समय उत्तरजीवी या बने रहने वाले न्यासियों या न्यासी द्वारा, या अन्तिम उत्तरजीवी और बने रहने वाले न्यासी के विधिक प्रतिनिधि द्वारा, या यदि सब न्यासी एक समय पर ही निवृत्त हो रहे हों तो (न्यायालय की सम्मति से) उन सब के द्वारा, या अन्तिम निवृत्त होने वाले न्यासी द्वारा (वैसी ही सम्मति से) की जा सकेगी।

ऐसी हर नियुक्ति उसे करने वाले व्यक्ति के अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा की जाएगी।

¹ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

नए न्यासी की नियुक्ति के समय न्यासियों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी।

जहां कि केवल एक न्यासी नियुक्त किया जाना हो और ऐसा न्यासी एकमात्र न्यासी होना हो, वहां शासकीय न्यासी, अपनी सम्मति से और न्यायालय के आदेश द्वारा, इस धारा के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा।

इस धारा के उन उपबन्धों के अन्तर्गत, जो उस न्यासी के सम्बन्ध में हैं जो मर गया हो, उस व्यक्ति का मामला आता है जो विल में नामनिर्दिष्ट न्यासी तो हो किन्तु वसीयतकर्ता के पहले मर जाए, और जो उपबन्ध बने रहने वाले न्यासी के सम्बन्ध में हैं उनके अन्तर्गत इन्कार करने वाला या निवृत्त होने वाला न्यासी आता है, यदि वह उस शक्ति के निष्पादन में कार्य करने के लिए रजामन्द हो।

74. न्यायालय द्वारा नियुक्ति—जब कभी भी ऐसी कोई रिक्ति या निरहता हो जाती है और धारा 73 के अधीन नया न्यासी नियुक्त करना असाध्य पाया जाता है तब हिताधिकारी आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय से न्यासी की या नए न्यासी की नियुक्ति करने के लिए आवेदन, वाद संस्थित किए बिना, अर्जी द्वारा कर सकेगा और न्यायालय न्यासी या नए न्यासी की नियुक्ति तदनुसार कर सकेगा।

नए न्यासियों का वरण करने के लिए नियम—नए न्यासियों की नियुक्ति करने में न्यायालय (क) न्यासकर्ता की उन इच्छाओं का, जो न्यास की लिखत में अभिव्यक्त की गई हों या उससे अनुमित की जानी हों, (ख) नए न्यासी नियुक्त करने के लिए सशक्त व्यक्ति की, यदि कोई हो, इच्छाओं का, (ग) इस प्रश्न का कि नई नियुक्ति न्यास का निष्पादन अग्रसर करेगी या उसमें अड़चन डालेगी, और (घ) जहां कि एक से अधिक हिताधिकारी हों, वहां ऐसे सभी हिताधिकारियों के हितों का, ध्यान रखेगा।

75. न्यास-सम्पत्ति का नए न्यासियों में निहित होना—जब कभी भी कोई नया न्यासी धारा 73 या धारा 74 के अधीन नियुक्त किया जाता है तब उत्तरजीवी या बने रहने वाले न्यासियों या न्यासी में या किसी भी न्यासी के विधिक प्रतिनिधि में तत्समय निहित सब न्यास-सम्पत्ति उस मामले की अपेक्षा के अनुसार ऐसे नए न्यासी में, या तो अकेले में या उत्तरजीवी या बने रहने वाले न्यासियों या न्यासी के साथ संयुक्ततः, निहित हो जाएगी।

नए न्यासी की शक्तियां—इस प्रकार नियुक्त हर नए न्यासी को और इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व या पश्चात् न्यायालय द्वारा नियुक्त हर न्यासी को वैसी ही शक्तियां, प्राधिकार और विवेकाधिकार प्राप्त होंगे और सभी बातों में वह इस प्रकार कार्य करेगा, मानो न्यासकर्ता ने उसे मूलतः न्यासी नामनिर्दिष्ट किया हो।

76. न्यास का अस्तित्व बना रहना—तब के सिवाय जब कि न्यास की लिखत में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा घोषित हो, कई सहन्यासियों में से किसी एक की मृत्यु या उन्मोचन हो जाने पर भी न्यास का अस्तित्व बना रहता है और न्यास-सम्पत्ति अन्य उत्तरजीवी न्यासियों को संक्रान्त हो जाती है।

अध्याय 8

न्यासों के निर्वापन के विषय में

77. न्यास कैसे निर्वापित होता है—न्यास तब निर्वापित हो जाता है जबकि—

- (क) उसके प्रयोजन की पूर्ति पूर्णतः हो जाती है; अथवा
- (ख) उसका प्रयोजन विधिविरुद्ध हो जाता है; अथवा
- (ग) उसके प्रयोजन की पूर्ति न्यास-सम्पत्ति के नाश के कारण या अन्यथा असंभव हो जाती है; अथवा
- (घ) न्यास, प्रतिसंहरणीय होते हुए, अभिव्यक्त रूप से प्रतिसंहृत कर दिया जाता है।

78. न्यास का प्रतिसंहरण—विल द्वारा सृष्ट न्यास वसीयतकर्ता के प्रसादानुसार प्रतिसंहृत किया जा सकेगा।

अन्यथा सृष्ट किए गए न्यास का प्रतिसंहरण—

- (क) जहां कि सभी हिताधिकारी संविदा करने के लिए सक्षम हों वहां उनकी सम्मति से ही किया जा सकेगा;
- (ख) जहां कि न्यास किसी अवसीयती लिखत द्वारा या मौखिक शब्दों द्वारा घोषित किया गया हो वहां न्यासकर्ता के पास अभिव्यक्त रूप से आरक्षित प्रतिसंहरण शक्ति का प्रयोग करके ही किया जा सकेगा; अथवा
- (ग) जहां कि न्यास न्यासकर्ता के ऋणों को चुकाने के लिए हो और वह लेनदारों को सूचित न किया गया हो वहां न्यासकर्ता के प्रसादानुसार ही किया जा सकेगा।

दृष्टांत

क सम्पत्ति का हस्तान्तरण ख को इस न्यास पर करता है कि ख उसे बेच दे और क के लेनदारों के दावों को, विक्रय के आगमों में से चुका दे। क प्रतिसंहरण की शक्ति आरक्षित नहीं करता। यदि लेनदारों को कोई संसूचना नहीं दी गई है तो क न्यास का प्रतिसंहरण कर सकेगा। किन्तु यदि लेनदार इस ठहराव के पक्षकार हैं तो न्यास उनकी सम्मति के बिना प्रतिसंहृत नहीं किया जा सकता।

79. न्यासी जो बात सम्यक् रूप से कर चुके हों उसे प्रतिसंहरण विफल न करेगा—कोई भी न्यास न्यासकर्ता द्वारा ऐसे प्रतिसंहृत नहीं किया जा सकेगा कि न्यास के निष्पादन में जो बातें न्यासियों द्वारा सम्यक् रूप से की गई हों वे विफल हो जाएं या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

अध्याय 9

न्यास-प्रकृति की कतिपय बाध्यताओं के विषय में

80. न्यास-प्रकृति की बाध्यता कहां सृष्ट होती है—न्यास-प्रकृति की बाध्यता निम्नलिखित दशाओं में सृष्ट होती है।

81—82. [बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) की धारा 7 द्वारा (19-5-1988 से) निरसित।]

83. निष्पादन के अयोग्य न्यास या न्यास-सम्पत्ति को निःशेष किए बिना निष्पादित न्यास—जहां कि न्यास निष्पादन के अयोग्य है, या जहां कि न्यास का निष्पादन न्यास-सम्पत्ति को निःशेष किए बिना पूर्णतः हो जाता है वहां, तत्प्रतिकूल निदेश के अभाव में, न्यासी न्यास-सम्पत्ति का या उसके उतने भाग का, जो अनिःशेषित हो, धारण न्यासकर्ता या उसके विधिक प्रतिनिधि के फायदे के लिए करेगा।

दृष्टांत

(क) क कुछ भूमि का हस्तान्तरण ख को—

“न्यास पर” करता है और न्यास घोषित नहीं किया जाता; अथवा

“एतत्पश्चात् घोषित किए जाने वाले न्यास पर” करता है और ऐसी कोई घोषणा कभी नहीं की जाती; अथवा

उन न्यासों पर करता है जो इतने अस्पष्ट हैं कि उनका निष्पादन नहीं किया जा सकता; अथवा

उन न्यासों पर करता है जो क्रियान्वित होने के अयोग्य हो जाते हैं; अथवा

“ग के लिए न्यास पर” करता है, और ग न्यास के अधीन का अपना हित त्याग देता है।

इनमें से हर एक दशा में ख भूमि का धारण क के फायदे के लिए करता है।

(ख) क चार प्रतिशत वाली प्रतिभूतियों में लगे 10,000 रुपयों का अन्तरण ख को इस न्यास पर करता है कि ख उन पर प्रतिवर्ष शोध्य प्रोद्भूत होने वाला ब्याज ग को उसके जीवनपर्यन्त संदत्त करता रहेगा। क मर जाता है। फिर ग मर जाती है। ख उस निधि का धारण क के विधिक प्रतिनिधि के फायदे के लिए करता है।

(ग) क भूमि का हस्तान्तरण ख को इस न्यास पर करता है कि उसे बेच दे और आगमों का अर्द्धांश निश्चित खैराती प्रयोजनों के लिए और दूसरा अर्द्धांश एक मूर्ति की पूजा को चालू रखने के लिए उपयोजित करे। ख भूमि बेच देता है किन्तु खैराती प्रयोजन संपूर्णतः विफल हो जाते हैं, और आगमों का दूसरा अर्द्धांश पूजा को चालू रखने में निःशेष नहीं होता। ख पहले अर्द्धांश और दूसरे अर्द्धांश के अनुपयोजित भाग का धारण क के या उसके विधिक प्रतिनिधि के फायदे के लिए करता है।

(घ) क 10,000 रुपयों की वसीयत ख को इसलिए करता है कि वे किन्हीं प्रयोजनार्थ हस्तान्तरित की जाने के लिए भूमि खरीदने में लगाए जाएं, जो प्रयोजन पूर्णतः या भागतः क्रियान्वित नहीं हो पाते। ख धन में के, या यदि भूमि खरीदी गई हो तो उस भूमि में के, अव्ययनित हित का धारण क के विधिक प्रतिनिधि के फायदे के लिए करता है।

84. अवैध प्रयोजन के लिए अन्तरण—जहां कि सम्पत्ति का स्वामी उसका अन्तरण किसी अन्य को किसी अवैध प्रयोजन के लिए करता है और ऐसे प्रयोजन का निष्पादन नहीं किया जाता या अन्तरक उतना दोषी न हो जितना कि अन्तरिती, या अन्तरिती को सम्पत्ति प्रतिधृत करने की अनुज्ञा देने का प्रभाव किसी विधि के उपबन्धों का विफलीकरण हो सकता हो, वहां अन्तरिती सम्पत्ति का धारण अन्तरक के फायदे के लिए करेगा।

85. अवैध प्रयोजन के लिए वसीयत—जहां कि कोई वसीयतकर्ता किसी सम्पत्ति की वसीयत न्यास पर करता है और विल के सकृत दर्शन से ही न्यास का प्रयोजन विधिविरुद्ध प्रतीत होता है या वसीयतकर्ता के जीवनकाल में ही वसीयतदार उस सम्पत्ति को किसी अवैध प्रयोजन के लिए उपयोजित करने का करार उसके साथ कर लेता है वहां वसीयतदार सम्पत्ति का धारण वसीयतकर्ता के विधिक प्रतिनिधि के फायदे के लिए करेगा।

वह वसीयत जिसका प्रतिसंहरण प्रपीडन द्वारा निवारित किया गया है—जहां कि सम्पत्ति की वसीयत की जाती है और वसीयत का प्रतिसंहरण प्रपीडन द्वारा निवारित किया जाता है वहां वसीयतदार सम्पत्ति का धारण वसीयतकर्ता के विधिक प्रतिनिधि के फायदे के लिए करेगा।

86. विखंडनीय संविदा के अनुसरण में किया गया अन्तरण—जहां कि सम्पत्ति का अन्तरण ऐसी संविदा के अनुसरण में हुआ हो जो विखंडनीय हो या कपट या भूलवश उत्प्रेरित हुई हो वहां अंतरिती इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर सम्पत्ति का धारण इस शर्त पर अन्तरक के फायदे के लिए करेगा कि अन्तरक उस प्रतिफल का प्रतिसंदाय कर दे जिसका वास्तव में संदाय किया गया हो।

87. ऋणी का लेनदार का प्रतिनिधि बन जाना—जहां कि ऋणी अपने लेनदार का निष्पादक या अन्य विधिक प्रतिनिधि बन जाए वहां वह उस ऋण का धारण उसमें हितबद्ध व्यक्तियों के फायदे के लिए करेगा।

88. वैश्वसिक द्वारा उठाया गया फायदा—जहां कि न्यासी, निष्पादक, भागीदार, अभिकर्ता, कम्पनी का निदेशक, विधिक सलाहकार, या अन्य व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के हितों की संरक्षा करने के लिए वैश्वसिक हैसियत में आवद्ध हो, अपनी उस हैसियत का लाभ उठाकर अपने लिए कोई धन-सम्बन्धी फायदा उठाता है, या जहां कि इस प्रकार आवद्ध कोई व्यक्ति, उन परिस्थितियों में, जिनमें कि उसके अपने हित ऐसे अन्य व्यक्ति के हितों के प्रतिकूल हों या हो सकते हों, कोई व्यवहार करता है और तद्वारा अपने लिए कोई धन-सम्बन्धी फायदा उठाता है, वहां वह इस प्रकार उठाए गए फायदे का धारण वैसे अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए करेगा।

दृष्टांत

(क) एक निष्पादक **क** वसीयतदार से विल के अधीन का **ख** का दावा न्यून-मूल्य पर खरीदता है। **ख** उस वसीयत के मूल्य से अनभिज्ञ है। **क** उस अंतर का, जो कीमत और मूल्य में है, धारण **ख** के फायदे के लिए करेगा।

(ख) एक न्यासी **क** न्यास-सम्पत्ति का उपयोग स्वयं अपने कारबार के प्रयोजन के लिए कर लेता है। ऐसे उपयोग से उद्भूत लाभों का धारण **क** अपने हिताधिकारी के फायदे के लिए करता है।

(ग) एक न्यासी **क** अपने को धन की किसी राशि का अपने उत्तराधिकारी द्वारा संदाय किए जाने के प्रतिफलस्वरूप अपने न्यासकार्य से निवृत्त हो जाता है। **क** ऐसे धन का धारण अपने हिताधिकारी के फायदे के लिए करता है।

(घ) एक भागीदार **क** भागीदारी की निधियों से स्वयं अपने नाम में भूमि खरीदता है। **क** ऐसी भूमि का धारण भागीदारी के फायदे के लिए करता है।

(ङ) अपनी और अपने सहभागीदारों की ओर से किसी पट्टे के निबन्धनों के बारे में बातचीत करने के लिए नियोजित एक भागीदार **क** अपने को एक लाख रुपयों के संदाय के लिए छुपे तौर से पट्टाकर्ता से अनुबन्ध करता है। **क** इस लाख रुपए का धारण भागीदारी के फायदे के लिए करता है।

(च) **क** और **ख** भागीदार हैं। **क** मर जाता है **ख** भागीदारी के कार्यकलाप का परिसमापन करने के बजाय सब आस्तियां कारबार में प्रतिधारित करता है। **ख** को पूंजी में के **क** के अंश से उद्भूत लाभों के लिए **क** के विधिक प्रतिनिधि को लेखा देना होगा।

(छ) **ख** के लिए एक पट्टा अभिप्राप्त करने को नियोजित एक अभिकर्ता **क** उस पट्टे को अपने लिए अभिप्राप्त कर लेता है। **क** उस पट्टे का धारण **ख** के फायदे के लिए करता है।

(ज) एक संरक्षक **क** अपने प्रतिपाल्य **ख** की सम्पदा पर के विल्लंगमों को न्यून-मूल्य पर अपने लिए खरीद लेता है। **क** इस प्रकार खरीदे गए विल्लंगमों का धारण **ख** के फायदे के लिए करता है और वह केवल उतने का भार **ख** पर डाल सकेगा जितने का उसने वास्तव में संदाय किया है।

89. असम्यक् असर के प्रयोग से उठाया गया फायदा—जहां कि असम्यक् असर के प्रयोग से किसी अन्य के हितों का अल्पीकरण करते हुए कोई फायदा उठाया जाता है वहां किसी प्रतिफल के बिना अथवा इस सूचना के होते हुए कि ऐसे असर का प्रयोग हुआ है ऐसा फायदा उठाने वाला व्यक्ति उस फायदे का धारण उस व्यक्ति के फायदे के लिए करेगा जिसके हितों पर इस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

90. विशेषित स्वामित्व वाले स्वामी द्वारा उठाया गया फायदा—जहां कि किसी सम्पत्ति का कोई आजीवन अभिधारी, सहस्वामी, बन्धकदार या अन्य विशेषित स्वामित्व वाला उस हैसियत में अपनी स्थिति का लाभ उठाकर कोई फायदा उस सम्पत्ति में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का अल्पीकरण करते हुए उठाता है या जहां कि ऐसा कोई भी स्वामी ऐसी सम्पत्ति में हितबद्ध सभी व्यक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में कोई फायदा उठाता है, वहां वह ऐसे उठाए गए फायदे का धारण ऐसे सभी हितबद्ध व्यक्तियों के फायदे के लिए करेगा, किन्तु इस शर्त पर कि ऐसा फायदा उठाने में उचित तौर पर जो व्यय उपगत हुए हों उनमें के अपने सम्यक् अंश का प्रतिसंदाय, और उक्त फायदा उठाने में उचित तौर पर संविदाकृत दायित्वों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति, वे व्यक्ति कर दें।

दृष्टांत

(क) एक पट्टाधृत सम्पत्ति का आजीवन अभिधारी **क** अपने नाम में और अपने फायदे के लिए पट्टे का नवीकरण करा लेता है। **क** नवीकृत पट्टे का धारण पुराने पट्टे में हितबद्ध सब व्यक्तियों के फायदे के लिए करता है।

(ख) एक ग्राम किसी हिन्दू कुटुम्ब का है। उसका एक सदस्य **क** सरकार को नजराने का संदाय करता है और ऐसा करके अपना नाम उस ग्राम के इनामदार के तौर पर प्रविष्ट करा लेता है। **क** उस ग्राम का धारण अपने और अन्य सदस्यों के फायदे के लिए करता है।

(ग) **क** एक भूमि **ख** के पास बन्धक रखता है, जो भूमि पर कब्जा कर लेता है। इस दृष्टि से कि भूमि बेच दी जाए और वह स्वयं उसका क्रेता हो जाए, **ख** भूमि का सरकारी राजस्व बकाया रहने देता है। भूमि तदनुसार **ख** को बेच दी जाती है। इस शर्त पर कि बन्धक लेखे शोध्य रकम का और बन्धकदार के रूप में उसके द्वारा उचित तौर पर उपगत उसके व्ययों का प्रतिसंदाय कर दिया जाए, **ख** भूमि का धारण **क** के फायदे के लिए करता है।

91. विद्यमान संविदा की सूचना होते हुए सम्पत्ति का अर्जन—जहां कि कोई व्यक्ति, यह सूचना होते हुए कि किसी अन्य व्यक्ति ने उस सम्पत्ति पर प्रभाव डालने वाली कोई ऐसी विद्यमान संविदा की हुई है जिसका विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है, सम्पत्ति अर्जित करता है वहां पूर्वकथित व्यक्ति सम्पत्ति का धारण पश्चात्कथित व्यक्ति के फायदे के लिए उस विस्तार तक करेगा जो उस संविदा को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है।

92. उस सम्पत्ति को खरीदने की संविदा करने वाले व्यक्ति द्वारा क्रय जो न्यास पर धारण की जाने वाली है—जहां कि कोई व्यक्ति कुछ हिताधिकारियों के लिए न्यास पर धारण की जाने के लिए सम्पत्ति खरीदने की संविदा करता है और तदनुसार उस सम्पत्ति को खरीद लेता है वहां वह उस सम्पत्ति का धारण उनके फायदे के लिए उस विस्तार तक करेगा जो उस संविदा को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है।

93. शमन करने वाले कई लेनदारों में से एक द्वारा गुप्त रूप से उठाया गया फायदा—जहां कि लेनदार अपने को शोध्य ऋणों का शमन करता है और ऐसे लेनदारों में से एक ऋणी के साथ गुप्त व्यवस्था करके, सह-लेनदारों के मुकाबले में कोई असम्यक् फायदा उठा लेता है, वहां वह ऐसे उठाए गए फायदे का धारण ऐसे लेनदारों के फायदे के लिए करेगा।

94. जिन दशाओं के लिए अभिव्यक्त तौर पर उपबंध नहीं किया गया है उनमें आन्वयिक न्यास।—[बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) की धारा 17 द्वारा (19-5-1988 से) निरसित।]

95. बाध्यताधारी के कर्तव्य, दायित्व और नियोग्यताएं—इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी भी धारा के अनुसरण में सम्पत्ति का धारण करने वाला व्यक्ति यावत्शक्य उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा और यावत्शक्य उन्हीं दायित्वों और नियोग्यताओं के अधीन होगा मानो वह उस व्यक्ति के लिए सम्पत्ति का न्यासी हो जिसके फायदे के लिए वह उसका धारण करता है :

परन्तु (क) जहां कि वह सम्पत्ति पर अधिकारपूर्वक खेती करता है या उसे व्यापार या कारबार में नियोजित करता है, वहां वह ऐसी खेती या नियोजन में अपने परिश्रम और कौशल और समय की हानि के लिए युक्तियुक्त पारिश्रमिक पाने का हकदार होता है, तथा (ख) जहां कि वह ऐसे व्यक्ति के साथ, जिसके फायदे के लिए वह सम्पत्ति का धारण करता है, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जिसके माध्यम से ऐसे व्यक्ति को दावा व्युत्पन्न हुआ है, की गई संविदा के आधार पर सम्पत्ति का धारण करता है, वहां वह न्यायालय की अनुज्ञा के बिना, उस सम्पत्ति को या उसके किसी भाग को खरीद सकेगा या उसका पट्टेदार या बन्धकदार हो सकेगा।

96. सद्भावपूर्ण क्रेताओं के अधिकारों की व्यावृत्ति—इस अध्याय में अन्तर्विष्ट कोई भी बात सद्भावपूर्ण सप्रतिफल अन्तरितियों के अधिकारों का ह्रास या किसी भी तत्समय प्रवृत्त विधि का अपवंचन करके कोई बाध्यता सृष्ट नहीं करेगी।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

कानून

वर्ष और अध्याय	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
29 चार्ल्स द्वि० अध्याय 3	दि स्टेट्यूट आफ फ्राइस ¹	धाराएं 7, 8, 9, 10 और 11
सपरिषद् गवर्नर जनरल के अधिनियम		
संख्यांक और वर्ष	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
1866 का 28	² दि ट्रस्टीज़ एण्ड मोर्टगेंजीज़ पावर्स ऐक्ट, 1866	धाराएं 2, 3, 4, 5, 32, 33, 34, 35, 36 और 37। धारा ³ *** 43 में “ट्रस्टी” शब्द, जहां कहीं भी वह आया हो, और धारा 43 में “मैनेजमेंट आर” और “दि ट्रस्ट-प्रापर्टी आर” शब्द।
1877 का 1	³ दि स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट, 1877	धारा 12 में प्रथम दृष्टांत।

¹ भारत में लागू होने के संबंध में निरसित।

² निरसित।

³ 1891 के अधिनियम संख्यांक 12 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा अंक “39” और फलस्वरूप शब्द “और” निरसित।